ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

आवरण कथा : गुजरात विधानसभा चुनाव 2012

भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र........ 23

संसद में बहस

खुदरा व्यापार में एफडीआई पर बहस

लोकसभा

सुषमा स्वराज........ 11

डॉ. मुरली मनोहर जोशी........ 10

राज्य सभा

अरुण जेटली........ 12

वेंकैया नायडू........ 17

लेख

रिटेल में एफडीआई पर मतदान क्यों नहीं?

–अरुण जेटली........ 19

गुजरात में भाजपा की जीत तो सुनिश्चित है ही सभी स्वीकारते हैं

– अम्बा चरण वशिष्ठ........ 21

अन्य

भाजपा ने सौंपा पाक उच्चायुक्त को ज्ञापन........ 29

श्रद्धांजलि

इन्द्र कुमार गुजराल........ 30

किशन सिंह सांगवान........ 30

ऐतिहासिक चित्र

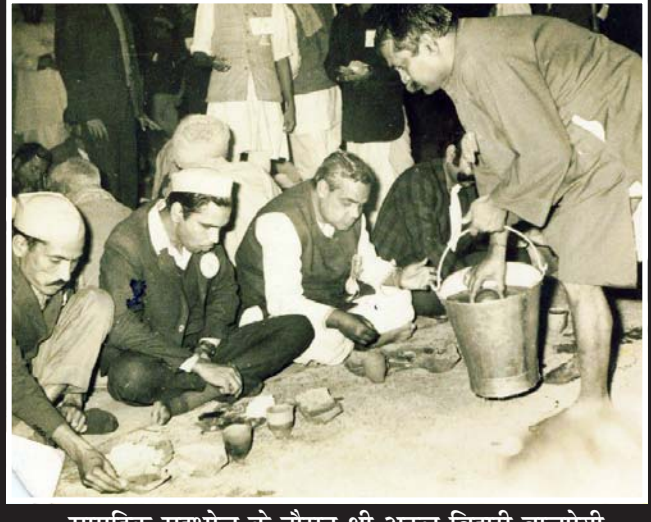

सामूहिक सहभोज के दौरान श्री अटल बिहारी वाजपेयी

एक व्यक्ति पर निर्भरता ठीक नहीं

प्राय: अनेक संस्थाएं, संगठन तथा कभी-कभी तो देश भी एक व्यक्ति के नेतृत्व पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि उसके अभाव में लोग अपनी हिम्मत ही छोड़ बैठते हैं। सन 1761 में पानीपत के मैदान में विशाल युद्ध हुआ। अहमदशाह अब्दाली विदेशी हमलावर था, दूसरी ओर हिन्दू सेना का नेतृत्व सदाशिवराव पेशवा हाथी पर बैठकर कर रहे थे। जब युद्ध पूरे यौवन पर था, तो अचानक पेशवा हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गये और प्रत्यक्ष युद्ध करने लगे।

जैसे ही सैनिकों ने देखा कि पेशवा का हाथी तो है, लेकिन उस पर सेनापति दिखायी नहीं दे रहे, उनका मनोबल टूट गया। उनमें भगदड़ मच गयी और जीतता हुआ युद्ध हिन्दू सेना हार गयी। इस युद्ध ने भारत के इतिहास की धारा ही बदल दी।

इसके विपरीत शिवाजी महाराज ने जब स्वराज्य की स्थापना की, तो देश के सर्वसामान्य व्यक्तियों में देशप्रेम की भावना और नेतृत्वक्षमता उत्पन्न की। इसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। शिवाजी के देहांत के बाद औरंगजेब स्वयं एक विशाल सेना लेकर हिन्दू राज्य को कुचलने के लिए दक्षिण में आया। उसने शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मरवा दिया और दूसरे पुत्र राजाराम को जिंजी के किले में घेर लिया। सम्पूर्ण राज्य और सेना नेतृत्वविहीन हो गयी। लेकिन इसके बाद भी जनता ने हिम्मत नहीं हारी। औरंगजेब की विशाल सेना बीस साल तक संघर्ष करती रही, पर वह स्वराज्य को कुचल नहीं सकी। एक बार तो हिन्दू सैनिक औरंगजेब की शाही छावनी में घुस गये और उसके निजी तम्बू का सोने से बना कलश काटकर ले गये। औरंगजेब इससे इतना निराश और हताश हुआ कि वह दक्षिण में ही मर गया। यह शिवाजी की बुद्धिमत्ता ही थी कि उन्होंने व्यक्तिगत नेतृत्व के बदले सामूहिक नेतृत्व विकसित किया। उसी का यह सुपरिणाम था।

–'श्री गुरुजी बोधकथा' से साभार

जीवेम शरद: शतम्

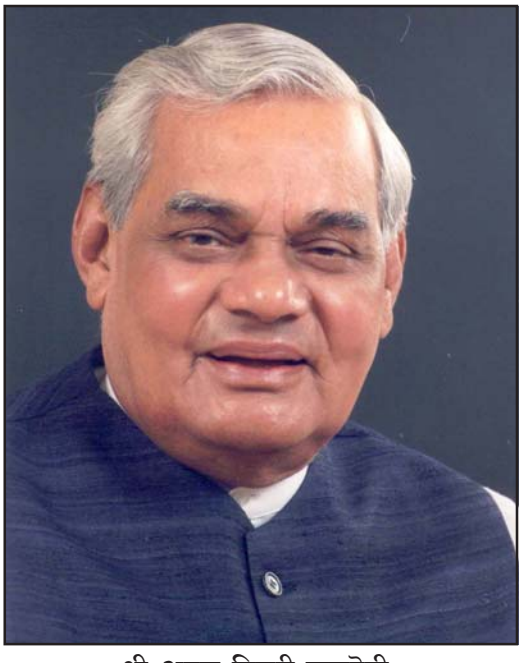

श्री अटल बिहारी वाजपेयी
जन्म दिवस : 25 दिसम्बर 1924

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली, पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री एम वेंकैया नायडू और श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल एवं कमल संदेश के सम्पादक श्री प्रभात झा सहित अन्य सभी नेतागण एवं कार्यकर्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की दीर्घायु की कामना करते हुए अभिलाषा रखते हैं कि वे चिरकाल तक पार्टी एवं राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहें। ■

एफडीआई पर तकनीकी जीत है कांग्रेस की नैतिक हार

खुदरा व्यापार में एफडीआई पर वोट कुछ उसी तरह की ड्रामे का पुनरावृत्ति रही जैसा कि 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के मौके पर हुआ था जिसमें कुछ राजनैतिक दलों ने इस विषय पर अपने पहले से घोषित 'स्टैण्ड' में यू-टर्न ले लिया था और और वोट के बदले नोट घोटाला घटित हुआ। सपा और बसपा ही इन दोनों मौकों पर अपने पहले के घोषित 'स्टैण्ड' को बदल कर संकट की घड़ी में यूपीए सरकार की रक्षक बनकर उभरी थीं। 2008 की तरह ही इस बार भी, जैसा कि एक प्रमुख दैनिक पत्र ने लिखा है, सीबीआई ही संसदीय कार्य मंत्री का उत्तरदायित्व निभा कर संख्या का उलटफेर करने में सफल हो गई।

2008 की तरह ही इस बार भी दांव पर राष्ट्रहित नहीं, बल्कि सत्ता का अहंकार गूंजा, जिसमें अमेरिका की इच्छाओं और हितों को सामने रखते हुए इस समझौते को आगे रखा गया था। उस समय भी इस बात का बड़ा शोर मचा था कि भारत को लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे परन्तु चार वर्ष बीत जाने के बाद भी देश को इस 'डील' से कोई ठोस लाभ दिखाई नहीं पहुंचा है।

इसी प्रकार खुदरा व्यापार में एफडीआई 51 प्रतिशत की हिस्सेदार के निर्णय के पीछे किसी प्रकार का सार्वजनिक हित नहीं है बल्कि इसमें भी अमेरिकी शासकों की इच्छाएं निहित हैं। इस बारे में जरा भी विवाद नहीं है क्योंकि भारत अमेरिका परमाणु समझौते की तरह ही यह अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय भी कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र 2009 का हिस्सा नहीं था। अमेरिकी प्रशासन बहुत लम्बे समय से मनमोहन सरकार को इस मामले पर दबाव डाल रहा था। मनमोहन सरकार जो केन्द्रिय मन्त्री पी चिदम्बरम के शब्दों में ''परफौरमैंस डैफिसिट'' से ग्रसित थी उसे हरकत में आने के लिये बिजली का झटका तब लगा जब एक प्रैस रिपोर्ट के अनुसार नवम्बर 2011 में बाली में एक भेंट के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुदरा व्यापार में एफडीआई लाने में तत्परता दिखाने की सलाह दी। इसके बाद ही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विचार में तेजी दिखाई, परन्तु तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य कई सहयोगी दलों की मुखालफत के कारण इसको टालना पड़ा। बाद में, पिछली गर्मियों में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत की अपनी यात्रा में इस बात पर और अधिक जोर डाला। इसी बीच, अमरीका की विख्यात पत्रिका 'टाइम' ने प्रधानमंत्री को 'अन्डर अचीवर' की संज्ञा दे डाली। इस स्थिति ने विषय को चरम स्थिति पर पहुंचा दिया। कांग्रेस-नीत यूपीए ने एफडीआई पर एकतरफा निर्णय लेकर एक ऐसा मामला बना दिया जिसमें स्पष्ट ही उसने राष्ट्रहित का परित्याग कर अमेरिका जैसे देशों के लिए नीति-निर्माण किया है।

2008 के परमाणु समझौते की तरह ही, कांग्रेस को सदन में अपने सांसदों की संख्या पर भरोसा नहीं था। उसने संसद के कामकाज को लगभग दो सप्ताह ठप्प होने दिया और भाजपा तथा अन्य विपक्षी दलों की नियम 184 के अन्तर्गत सदन में एफडीआई मुद्दे पर बहस कराने की न्यायोचित मांग को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इस नियम के अन्तर्गत अन्त में मतदान का प्रावधान रहता है। यह देखते हुए कि पिछले वर्ष की तरह यह वर्तमान शीत सत्र भी कहीं बर्बाद न हो जाए, मनमोहन सरकार को नियम 184 के अन्तर्गत बहस करवाने पर तैयार होना पड़ा। इस बहस से कुछ राजनैतिक दलों के मिथ्याचरण की पोल खुल गई। इस प्रस्ताव पर 544 सदस्यों के सदन में सामूहिक रूप से 261 सदस्यों की संख्या ने इसका घोर विरोध किया। ये सभी चाहते थे कि इस निर्णय को वापस ले लिया जाए। यहां तक कि डीएमके तथा एनसीपी जैसे यूपीए के अपने सहयोगी दल भी इस प्रस्ताव का विरोध करते रहे। मत के बाद एनसीपी ने घोषणा की कि वह महाराष्ट्र में इसके खिलाफ रहेगी।

फिर भी, जब वोटिंग की बात आई तो केवल 218 सदस्यों ने रिटेल में एफडीआई पर सरकार के विरोध में प्रस्ताव का समर्थन किया और 253 सदस्य सरकार के पक्ष में चले गए। इससे भी बढ़कर विडम्बना यह रही कि डॉ. मनमोहन सिंह ने मतदान के बाद दावा कर दिया कि सरकार को इस प्रस्ताव पर संसद की स्वीकृति मिल गई है। पर वे यह भूल गए कि इस मतदान से यह स्पष्ट हो गया कि उनकी सरकार को सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है क्योंकि सदन में बहुमत के लिये 272 का आंकड़ा आवश्यक है।

एक और विडम्बना वाणिज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने जोड़ दी जब उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र समेत 21 राज्यों में से 11 राज्यों ने एफडीआई पर यूपीए के प्रस्ताव का समर्थन किया है और उन्होंने एनसीपी के स्टैण्ड को भुला दिया।

इससे भी बड़ी विडम्बना यह रही कि कुछ राजनैतिक दलों का आचरण उनके अपने शब्दों से मेल नहीं खाता है। मतदान के समय वॉकआउट करते हुए ये राजनैतिक दल संसद में अपने ही स्टैण्ड व शब्दों को भूल गए जो उन्होंने सदन में कहे थे।

इससे भी बड़ा विपरीत आचरण बहुजन समाजवादी पार्टी का रहा। लोकसभा में इसने खुदरा व्यापार में एफडीआई के खिलाफ बोला और यह कहते हुए वॉकआउट किया कि वह सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। परन्तु, राज्य सभा में उसने यू-टर्न लेते हुए सरकार का समर्थन कर दिया।

लोकसभा और राज्य सभा में संख्या के आधार पर तो कांग्रेस की जीत अवश्य रही, परन्तु यह केवल एक तकनीकी जीत कही जा सकती है। वास्तव में यह यूपीए के लिए कहीं अधिक नैतिक पराजय थी क्योंकि लोकसभा में 43 सदस्यों ने वॉक आउट किया, जो निश्चित ही सरकार के निर्णय के खिलाफ थे और यहां तक कि एनसीपी और डीएमके, जिन्होंने सरकार का समर्थन किया, उन्होंने भी अपना विरोध ही प्रकट किया।

कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार के शब्दों और आचरण से यह बात एकदम साफ है कि चाहे भारत-अमेरिका परमाणु समझौता हो या खुदरा व्यापार में एफडीआई का मामला, यह सरकार अमेरिका और वालमार्ट जैसी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं के हितों को ही प्रोत्साहित कर उन छोटे खुदरा व्यापारियों और सर्विस सेक्टर के हितों को नज़रअन्दाज़ का रही है, जो अधिकांशत: स्व-रोजगार से अपनी जीविका कमा रहे हैं तथा जिनका जीडीपी के सृजन में 58 प्रतिशत का योगदान है। ''इससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर दोनों में ही नौकरियों का नुकसान ही नुकसान होगा।''

रिटेल एफडीआई में 51 प्रतिशत की अनुमति देने से भारत के लोगों की चिंता बेकार नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा न हो कि फिर से वही गलती फिर से दोहराई जाए जो पिछली बार भारत के शासकों ने तब की थी जब उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देश में व्यापारी के रूप में काम करने की इजाजत दे दी थी। उस समय के शासकों ने भी - जैसा कि इस समय के शासक सोच रहे हैं - कि ये व्यापारी हमारे देश में और अधिक व्यापार, और अधिक सेवाएं और अधिक रोजगार तथा और अधिक उत्पादन करने के हमारी मदद करने भारत आ रहे हैं। परन्तु, बहुत शीघ्र ही ये लोग हमलावर और शोषणकर्ता बन गए और उन्होंने अपने धन के बल पर देश को गुलाम बनाकर हमारे देश को ही ही लूटना शुरू कर दिया। एक ही कम्पनी वालमार्ट की कुल वार्षिक बिक्री 2011 में 443.9 बिलियन डालर है, जो भारत की जीडीपी 1847.98 बिलियन डालर का एक-चौथाई है। यह कम्पनियां कोई दान-धर्म के लिए नहीं आ रही हैं, बल्कि वे तो देश की कीमत पर मुनाफा निचोड़ने आ रही है।

जिस प्रकार से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हमारे व्यापार, उद्योग, कृषि का शोषण किया और यहां तक कि हमारे शासकों को भी प्रभावित किया, उसी तरह से वालमार्ट जैसी ये बड़ी-बड़ी कम्पनियां शोषण करने में पीछे रहने वाली नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी कृषि, हमारा व्यापार और अन्तत: हमारा भविष्य इन कम्पनियों के हाथ का खिलौना बन जाएगा और वे राजनीति में दखल और प्रभाव से हमारी ही धरती पर अपनी धौंस जमा बैठेंगे औरे अपन भारी पर्स से हमारी राजनीति और नीतिनिर्धारण पर भी कब्ज़ा जमाने का प्रयास करेंगी जैसे कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने किया था।

यह वह खतरा है जिसे भारत के लोगों को कभी नजरन्दाज नहीं करना चाहिए। एक प्रसिद्ध स्तम्भकार ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि देर-सबेर भारत में एक और नजारा देखने को मिलेगा: भारत में किसानों की आत्महत्या के अलावा इसी प्रकार की त्रासदी खुदरा कारोबारियों के साथ भी देखने को मिल सकती है जब उनका व्यापार चौपट हो जाएगा, उनके पास पैसा नहीं रहेगा और वे कर्ज में डूब जाएंगे।

अत:, एफडीआई पर संसद की तकनीकी स्वीकृति मिल जाने पर भी इसे भारत के आम लोगों की निहित स्वीकृति नहीं समझा जा सकता। विपक्षी दलों, विशेष रूप से भाजपा को इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाना होगा ताकि वे वर्तमान कांग्रेस-नीत यूपीए के सत्ता में रहते देश के सामने खड़े इन खतरों को भलीभांति समझ सकें। इस जन-विरोधी सरकार और कांग्रेस को आगामी चुनावों और अन्तत: 2014 में उखाड़ फेंकना अत्यंत आवश्यक है। वह समय बहुत दूर नहीं है जब लोगों को अपना जनादेश देना है। ■

एफडीआई विकास की सीढ़ी नहीं विनाश का गड्ढा : सुषमा स्वराज

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर बहस हुई। बहस के दौरान भाजपा सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला। गत 4 दिसम्बर को लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री खगेनदास ने खुदरा व्यापार में एफडीआई पर नियम 184 के तहत बहस का प्रस्ताव किया- 'ये सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को तत्काल वापस ले,'' प्रस्तुत किया। बहस के दौरान सपा और बसपा ने हालांकि एफडीआई का विरोध किया लेकिन मत विभाजन से पहले ही इसके सदस्य सदन से वॉक आउट कर गये और यह प्रस्ताव 218 के मुकाबले 253 मतों से गिर गया। गत 6 दिसम्बर को राज्यसभा में खुदरा व्यापार में एफडीआई को वापस लेने के लिए अन्ना द्रमुक के वी. मैत्रेयन द्वारा नियम 168 के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में 109 वोट पड़े- जबकि सरकार को 123 वोट प्राप्त हुए। सपा ने जहां सदन से बहिर्गमन का सरकार की मदद की, वहीं बसपा ने सरकार के पक्ष में मतदान किया। लोकसभा में बहस की शुरूआत वरिष्ठ भाजपा नेता व विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह दावा मिथक है कि विदेशी निवेश से किसानों, उपभोक्ताओं को लाभ होगा और रोजगार सृजन होगा। हम श्रीमती सुषमा स्वराज के भाषण का सारांश यहां प्रकाशित कर रहे हैं-

(नोट : खुदरा व्यापार में एफडीआई के मुद्दे पर संसद में हुई बहस के दौरान भाजपा सांसदों द्वारा दिए गए भाषणों पर केन्द्रित पुस्तिका अलग से प्रकाशित की जा रही है)

सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आपने हमारी इस एफडीआई की चर्चा को नियम 184 के तहत स्वीकार किया। हम आग्रह कर रहे थे कि हम एफडीआई पर चर्चा करेंगे तो केवल 184 के तहत करेंगे। क्योंकि इसकी एक पृष्ठभूमि है। पिछले वर्ष 2011 में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने हुबहू यही निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हम अनुमति देते हैं। उस समय चारों तरफ से उस निर्णय का विरोध हुआ था। विपक्ष सहित सरकार के घटक दलों से भी इसका विरोध हुआ था। उस समय के तत्कालीन नेता सदन ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत कराऊंगा। 7 दिसम्बर, 2011 को दोबारा एक सर्वदलीय बैठक हुई और नेता सदन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात कर ली है और सरकार ने यह फैसला किया है कि वह इस निर्णय को तब तक लंबित रखेगी जब तक सभी स्टेक-होल्डर्स से बातचीत नहीं हो जाती और आम सहमति नहीं बन जाती। स्टेक-होल्डर्स से उनका तात्पर्य था राजनीतिक दल और राज्यों के मुख्य मंत्री। उन्होंने सभा में 7 दिसम्बर, 2011 को इसी आशय का बयान भी दिया था। लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि आम सहमति बनाने की बात तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया। हम प्रमुख प्रतिपक्षीय राजनैतिक दल हैं, कोई मीटिंग बुलाना तो दूर कोई पत्राचार भी नहीं हुआ। टेलीफोन तक से कोई बात नहीं हुई और एक दिन अचानक यह निर्णय हमने टी०वी० पर सुना कि कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि वह 51 फीसदी एफडीआई रीटेल सैक्टर में खोलने जा रही है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि संसद में दिए गए आश्वासन का घोर उल्लंघन हुआ हो। संसदीय कार्य मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने यह कहा कि सरकार ने नीति बदल दी। अब तो हमने इनेब्लिंग पॉलिसी बनायी है। राज्यों पर छोड़ दिया है, इसलिए परामर्श करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह उल्लेखनीय है कि 7 दिसम्बर, 2011 को वाणिज्य मंत्री ने राज्य सभा में वही आश्वासन दिया था, जो तत्कालीन नेता सदन लोक सभा ने दिया था। जहां तक एफडीआई का सवाल है मैं सरकार के उन दावों का सच उजागर करना चाहूंगी, जो एफडीआई के पक्ष में सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। इनका पहला दावा है कि यह नीति उपभोक्ताओं के हित में है। यह बेसिक सिद्धांत है कि अगर बाजार प्रतियोगी होता है तो उपभोक्ता के हित में होता है और अगर बाजार

एकाधिकारी हो जाता है तो वह उपभोक्ता के हित में नहीं रहता है। लेकिन जब इस तरह का एकाधिकारी बाजार खड़ा कर देते हैं तो वह कभी भी उपभोक्ता के हित में नहीं होता।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताता है कि इस तरह के रिटेलर्स प्रिडेटरी प्राईसिंग करते हैं। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। पहले दाम इतने कम कर देंगे कि बाकी बाजार समाप्त हो जाए। जब बाजार समाप्त हो जाता है तो एकदम दाम बढ़ा देते हैं और इतने दाम बढ़ा देते हैं कि उसके बाद ग्राहक के पास कोई गुंजाइश नहीं बचती, चुनाव करने की कोई च्वायस नहीं बचती और उसे आकर उतने ही दाम पर खरीदना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आपका यह दावा कि ये रिटेलर्स जब मल्टी-ब्रांड में आएंगे और ये उपभोक्ता के हित में काम करेंगे, उसको सस्ती और अच्छी चीज़ दिलायेंगे, यह दावा सिरे से निराधार है, तथ्यों से परे है। सरकार का दूसरा दावा है कि यह नीति किसानों के हित में है। उसके लिए ये कहते हैं कि किसानों से महंगा खरीदेंगे, उनको अच्छा दाम देंगे। बड़े खुदरा व्यापारी किसान से सस्ता खरीदते हैं। वे अपने कर्मचारियों को वेतन कम देते हैं और उसके कारण दाम कम करते हैं। वे अपने मुनाफे में कोई समझौता नहीं करते और अपना लाभ पूरा करके ऊंचे दाम करते हैं। सारे यूरोपीय संघ से इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं और उनके द्वारा बड़े खुदरा व्यापारियों के संबंध में शिकायत की सामान्य प्रकृति यह रही है कि संयुक्त खुदरा व्यापारियों द्वारा दूध, मांस, पॉल्ट्री और शराब आदि उत्पादों के संबंध में किसानों के मूल्य को कम से कम किया जा रहा है और कई मामलों में यह भी देखने में आया है कि उनके द्वारा किसानों को लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर उत्पाद बेचने पर मजबूर किया गया। कोई एक का अनुभव नहीं है, दुनिया भर का अनुभव यह बताता है कि किसान से सस्ता खरीदते हैं। इसके आगे कहना चाहती हूं, दाम तो तब देंगे, जब खरीदेंगे। ये आपके छोटे और मझोले किसान से खरीदेंगे ही नहीं। पेप्सी का उदाहरण इस बात की पुष्टि करता है। मैकडोनाल्ड और पेप्सी जैसी कंपनियां किसी न किसी बहाने किसानों के उत्पाद की पूरी खेप की खेप ही रद्द कर देते हैं।

वॉलमार्ट तो अमरीका की कंपनी है और उसने अमरीका में तबाही मचाई है, वहां एक आंदोलन चला है जिसका नाम है "स्मॉल बिजनैस सेटरडे" और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रपति ओबामा। वह लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हर शनिवार को जाकर छोटी दुकानों से चीजें खरीदो। वॉल-मार्ट ने छोटी दुकानदारियां खत्म कर दीं, उनका रोजगार लुट गया और आंदोलन के तौर पर स्मॉल बिजनैस सेटरडे अमरीका में चलाया जा रहा है।

सरकार कहती है कि किसान को सबसे बड़ा फायदा होगा कि इस निर्णय से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो बिचौलियों की बात करते हैं कि बिचौलिये खत्म हो जाएंगे, आज भी हिन्दुस्तान में एक क्षेत्र ऐसा है, जहां किसान और मिल मालिक के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है और वह चीनी मिल का क्षेत्र है। लेकिन कितनी ही बार होता है कि अनुबंध के बाद भी चीनी मिल मालिक गन्ना लेने से मना कर देते हैं कि वे इससे ज्यादा पेर नहीं सकते हैं। मैं इनके इस तर्क का जवाब दे रही हूं, ये कह रहे हैं कि एफडीआई के आने से बिचौलिया खत्म हो जाएगा, और किसान को फायदा होगा। मैं यह कह रही हूं कि जिस क्षेत्र में बिचौलिया है ही नहीं, जहां मिल मालिक और किसान के बीच में सीधा रिश्ता है, वहां यह हालत हो रही है कि गन्ना किसान मारा-मारा फिर रहा है, तो आप यह कहते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाने से किसान की हालत सुधर जाएगी, यह सही नहीं है। सबसे बड़ा बिचौलिया हमारे यहां अनाज मंडी में आढ़ती होता है। उसके और किसान के बीच एक विश्वास का रिश्ता होता है जिसके आधार पर वह किसान को उसकी बेटी की शादी या अन्य अवसरों के लिए उधार देता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने वाले लोग मेरी बात से सहमत होंगे। क्या वालमार्ट और टेस्को जैसी कंपनियां उस किसान को उधार दे पाएंगी। क्या कोई किसान से सीधा उसकी फसल खरीदेगा? नई एजेंसियां खड़ी होंगी और नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसमें यह कहना कि आप बिचौलिए को समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को समाप्त कर देंगे, यह बात सिरे से गलत है। सरकार का तीसरा दावा है कि एफडीआई रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। वाणिज्य मंत्री जी ने तो एक आंकड़ा भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ जॉब्स मिलेंगी, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 40 लाख लोग डायरेक्टली इन लोगों द्वारा इम्प्लॉय होंगे, परन्तु मेरे पास जो आंकड़े हैं उदार गणना करने के बाद भी उनसे वक्त आंकड़ा दूर-दूर तक मेल नहीं खाता। मैं यह समझने में अक्षम हूं कि कहां से आंकड़ा लाते हैं, कैसे लाते हैं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आएगी, तो वह मैनुफैक्चरिंग सैक्टर में आएगी। आपके कारखाने बंद हो जाएंगे। आपने खुद कहा कि 30 परसेंट स्थानीय उद्योग से लेना पड़ेगा। आज

जो उद्योग सौ परसेंट बेच रहा है, उसका आपने 70 परसेंट काट लिया। क्या 30 परसेंट पर कोई कारखाना चल सकता है? क्या कोई फैक्टरी वायेबल हो सकती है। कारखाना दर कारखाना बंद हो जाएगा। यह जो 70 परसेंट आयातित माल आएगा, जिसे इसमें से 90 परसेंट माल चाइना का होगा। कारखाने खुलेंगे चाइना में, रोजगार मिलेगा चाइना में, आमदनी बढ़ेगी चाइना की और आपके यहां 12 करोड़ घरों में अंधेरा हो जाएगा। आपका मैनुफैक्चिरिंग सैक्टर खत्म हो जाएगा। 30 परसेंट वाली जो एसएमईज वाली बात है, यह भी एक मिथ्या धारणा है क्योंकि हमने द्विपक्षीय समझौते किए हैं और उनको कहा है कि हम आपको भी प्राथमिकता प्राप्त ट्रीटमेंट देंगे और उनका मतलब है कि हम उनके उद्योगों से चीजें खरीदेंगे। इसलिए यह जो तीस प्रतिशत वाली बात है, यह बहुत बड़ी मिथ्या और भ्रामक बात है। यह 30 प्रतिशत भी आप स्थानीय उद्योगों से खरीद नहीं सकेंगे। अब मैं वह आपको इस नीति के खुदरा व्यापार पर दुष्परिणाम के बारे में बताना चाहती हूं। पूरे विश्व का यह अनुभव है कि जहां-जहां एफडीआई मल्टी-ब्रांड रिटेल में आई है, वहां-वहां का खुदरा व्यापार खत्म हो गया है, छोटी शॉप्स समाप्त हो गयी हैं। इस तथ्य की पुष्टि नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रीजरवेशन और ब्रिटेन के सांसदों की टिप्पणियों से होती है।

वॉलमार्ट तो अमरीका की कंपनी है और उसने अमरीका में तबाही मचाई है, वहां एक आंदोलन चला है जिसका नाम है ''स्मॉल बिजनैस सेटरडे'' और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रपति ओबामा। वह लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हर शनिवार को जाकर छोटी दुकानों से चीज़ें खरीदो। वॉल-मार्ट ने छोटी दुकानदारियां खत्म कर दीं, उनका रोजगार लुट गया और आंदोलन के तौर पर स्मॉल बिजनैस सेटरडे अमरीका में चलाया जा रहा है। 10 सूत्री फार्मूला अमरीका के 2012 के बजट में आ रहा है छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं कि जिस समय बाकी के लोग इस प्रणाली के दोषों को चिन्हित करके, उन्हें सुधारने में लगे हुए हैं, उस समय क्या कारण है कि हमारी सरकार इसे महिमा-मंडित कर रही है।

मैंने यूरोपियन यूनियन का उदारहण, इंग्लैंड का उदाहरण, अमरीका का उदाहरण आपके सामने रखा, ये देश तबाही से अपने मुल्कों को बचाने में लगे हैं, स्मॉल बिजनैस को प्रमोट कर रहे हैं। यह बहस हमारे समय में चली थी जब हम सरकार में थे। तब भी कुछ लोग कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई ले आओ। उस समय अटल जी ने एक अध्ययन करवाया था और स्टडी करवाने के साथ एक कमेटी गठित की गई थी और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। जिस समय यह रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हमने एकमत से निर्णय कर लिया था कि हम खुदरा व्यापार में एफडीआई नहीं लाएंगे। उस समय कांग्रेस की सोच भी यही थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश आए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपके उस समय के चीफ व्हिप इसको एंटी-नेशनल कहते हैं। आप स्वयं एफडीआई का विरोध करते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि उस समय की जो कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को राष्ट्रविरोधी निर्णय मानती थी, उस समय के नेता प्रतिपक्ष दोनों एफडीआई का विरोध कर रहे थे और हमसे कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई मत लाना, आज क्या कारण है? **अखबार में ऐसी रिपोर्ट पिछले दिनों आई हैं कि वॉलमार्ट ने बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में खुदरा व्यापार में एफडीआई लाने के लिए रिश्वत दी है। अभी 8 दिन पहले भारतीय वॉलमार्ट ने इंडिया के सीएफओ को संस्पेंड किया। कई बार डर लगता है कि कहीं यह निर्णय भी भ्रष्टाचार में से तो नहीं निकला है।** ग्लोबल रिसैशन चल रहा है। भारत का बाजार उन्हें दिख रहा है इसलिए वे तो हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरी शिकायत तो मेरी अपनी सरकार से है कि हम क्यों ये कर रहे हैं? खुदरा व्यापार में अगर विदेशी पूंजी आएगी तो 4 करोड़ लोग जो सीधे इसमें लगे हैं और 20 करोड़ लोग जो इस पर पलते हैं, वे समाप्त हो जाएंगे। **सरकार को ऐसा लगता है कि एफडीआई विकास की सीढ़ी है तो मैं इन्हें कहना चाहती हूं कि यह विकास की सीढ़ी नहीं है बल्कि यह विनाश का गड्ढा है।** आपको यह लगता है कि एफडीआई का यह प्रस्ताव अगर चला जाएगा तो वर्ल्ड इनवैस्टमैन्ट सिनारियो खत्म हो जाएगा, इनवैस्टर्स आने बंद हो जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप चाहे जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुझे साथ लें, मैं साथ चलने का तैयार हूं। मैं वर्ल्ड इनवैस्टर्स समिट को यह संदेश देने को तैयार हूं कि भारत हर सैक्टर में एफडीआई के खिलाफ नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आइए, पावर में आइए, पुल-पुलिया में आइए, टनल्स में आए, पोर्ट में आइए, एयरपोर्ट में आइए। एक अद्भुत दृश्य होगा कि भारत जैसे विशाल देश का प्रधान मंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक साथ इनवैस्टर्स को कह रहा होगा, आप आइए। लेकिन यह दाल, चावल बेचना हमें आता है, यह आप हम पर छोड़ दीजिए। मैं अपने इन साथियों से दर्खास्त करूंगी कि इस निर्णय को वापस लेने का जो प्रस्ताव मैं लेकर आई हूं फिर आप मतदान में इस प्रस्ताव का समर्थन करिए और इस सरकार को मजबूर करिए कि यह निर्णय वापस ले। ■

यह देश कॉरपोरेट गुलामी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा : डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी

खुदरा व्यापार में एफडीआई के मुद्दे पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि हम वॉलमार्ट की डिक्टेटरशिप नहीं चाहते हम विदेशी पूंजी की तानाशाही नहीं चाहते हैं। हम इंडियन रिटेल की डेमोक्रेसी चाहते हैं। अगर हमारे देश का व्यापारी किसान आजाद है तो इस देश में डेमोक्रेसी चलेगी और अगर यह वॉलमार्ट का गुलाम हो गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। हम यहां डॉ. मुरली मनोहर जोशी के भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:-

सबसे पहले यह बताया कि एफडीआई ऑप्शनल है, इनेब्लिंग है। जिसे करना है, वह करे और न करना हो तो न करे। फिर सरकार की फर्मनेस कहां रही? आप जो कहते हैं कि यह देश के हित के लिए बहुत अच्छा है तो फिर सरकार इतनी रियायतें क्यों दे रही है? थोड़ा बहुत करने से भी अगर देश का अहित हो रहा है तो क्यों? उस समय के वित्त मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि मल्टी-ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत एफडीआई पर तब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कि विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बीच परामर्श के जरिए आम राय न बना ली जाए। स्टेकहोल्डर्स में राजनीतिक पार्टियां, किसान, छोटा व्यापारी और किसानी से संबंधित मजदूर भी है। उन सब लोगों और उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बात होनी चाहिए थी। फिर क्या बात हुई, वह राजनीतिक पार्टियों को बताई जानी चाहिए। एफडीआई की कहानी अक्तूबर, 1996 से शुरू होती है जब वाशिंगटन में एक बैठक से एक सप्ताह पहले लंदन की बैठक में बोलते हुए श्री चिदम्बरम ने यह कहा था कि आप भारत में आएं और दो सौ वर्ष तक रहें, अब पूंजी निवेश के लिए तैयार हो कर आइए और अगले 200 वर्षों तक रहिए और आपको बहुत फायदा मिलेगा। लोक सभा में 2002 में कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि ऐसा आरोप है कि बहुराष्ट्रीय खुदरा कंपनियां नौकरशाहों के जरिए खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति संबंधी राष्ट्र विरोधी निर्णय लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है। यह उस समय राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप था तो अब राष्ट्र हित में कैसे हो गया? तब तो अकेली एक कंपनी आई थी, अब तो कई आएंगी। सरकार ने कहा कि वे सब चीन में आए और 18 साल तक घाटा सहते रहे। कितनी उनकी आर्थिक ताकत है, यह इससे समझ लीजिए कि 18 साल तक घाटा सहने के बाद भी वे आज चीन में डटे हुए हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। 18 सालों में उन्होंने तमाम

हर बार यह कहा जाता है कि किसानों को लागत से ज्यादा पैसा मिलेगा। अमरीका का अनुभव और यूके के आंकड़े बताते हैं कि अंतिम मूल्य में किसानों का हिस्सा गिरा है और शीर्ष खुदरा व्यापारियों का हिस्सा बढ़ गया है। सरकार कह रही है कि इससे नौकरियां मिलेंगी। देश में नई तकनीकि आएगी। किसानों को फायदा होगा। मल्टी नेशनल के तरीके सरकार को बहुत पसन्द है। सरकार कहती है कि किसानों को पैसा समय पर मिलेगा। कमीशनखोरी समाप्त हो जाएगी। मैं बताऊंगा कि कितना कमीशन खाया जाएगा। वॉलमार्ट द्वारा किसानों को बताया जाएगा कि कैसे बोना है, और कब बोना है, पानी कितना देना है, खाद कितनी देनी है। हिन्दुस्तान का किसान 5 हजार साल पहले जिस ढंग से खेती करता था विदेशी वैज्ञानिकों को उसका पता अभी एक शताब्दी पहले लगा है।

चाइनिज मैनुफैक्चरिंग और उसके व्यापार पर कब्जा किया और अब वे मुनाफा कमा रहे हैं। उनकों वहां से सस्ता सामान लेकर अमरीका को आउटसोर्स करना है। आज 6000 ऐसी यूनिटें वहां हैं जो वॉलमार्ट के सारे सामान का 80 प्रतिशत बना रहे हैं। इनकी यही पॉलिसी है कि पहले सबको नष्ट कर दो और उसके बाद आराम से मुनाफा कमाओ। भारत सरकार यह प्रचारित कर रही है कि फल और सब्जियों की फसलोपरांत हानि 40 प्रतिशत है। यह तथ्य पूरी तरह गलत है। फल और सब्जी व्यापारी संघ ने 2008 में वास्तविक आंकड़े देते हुए सरकार को बताया कि वास्तविक हानि लगभग 5 से 7 प्रतिशत है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब द्वारा किए गए अधययन के अनुसार फल और सब्जियों के खराब होने की दर 6 से 18 प्रतिशत है। भारत सरकार जानबूझकर इस समय इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बता रही है।

हम वॉलमार्ट की डिक्टेटरशिप नहीं चाहते हम विदेशी पूंजी की तानाशाही नहीं चाहते हैं। हम इंडियन रिटेल की डेमोक्रेसी चाहते हैं। अगर हमारे देश का व्यापारी किसान आजाद है तो इस देश में डेमोक्रेसी चलेगी और अगर यह वॉलमार्ट का गुलाम हो गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें वॉलमार्ट पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार फैला रहा है। मैक्सिको में इसके ऊपर घुसखोरी के मुकदमें चल रहे हैं। वॉलमार्ट का सिद्धांत है गरीब देशों में घुसो और उनके बाजारों पर कब्जा करो। हिन्दुस्तान का रिटेल बाजार अपने आप में बहुत सक्षम है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार देश की हितों का ध्यान रखे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचे वर्ना देश आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।

हर बार यह कहा जाता है कि किसानों को लागत से ज्यादा पैसा मिलेगा। अमरीका का अनुभव और यूके के आंकड़े बताते हैं कि अंतिम मूल्य में किसानों का हिस्सा गिरा है और शीर्ष खुदरा व्यापारियों का हिस्सा बढ़ गया है। सरकार कह रही है कि इससे नौकरियां मिलेंगी। देश में नई तकनीकि आएगी। किसानों को फायदा होगा। मल्टी-नेशनल के तरीके सरकार को बहुत पसन्द है।

सरकार कहती है कि किसानों को पैसा समय पर मिलेगा। कमीशनखोरी समाप्त हो जाएगी। मैं बताऊंगा कि कितना कमीशन खाया जाएगा। वॉलमार्ट द्वारा किसानों को बताया जाएगा कि कैसे बोना है, और कब बोना है, पानी कितना देना है, खाद कितनी देनी है। हिन्दुस्तान का किसान 5 हजार साल पहले जिस ढंग से खेती करता था विदेशी वैज्ञानिकों को उसका पता अभी एक शताब्दी पहले लगा है। सरकार कहती है कि कृषि उत्पादों की बर्बादी नहीं होगी, खरीददार निश्चित होगा और प्री-प्राइसिंग एग्रीमेंट होगा। प्री-प्राइसिंग का मतलब है कि इस दाम पर देना होगा वर्ना हम नहीं खरीदेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से छोटा किसान को-ऐग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मार्जिनल किसान नहीं बचेगा। क्या वॉलमार्ट समान सस्ता बेचेगा नहीं वह तो और भी महंगा बेचेगा। सरकार कहती है कि प्रतिस्पर्धा होगी। मैं बताना चाहता हूं कि यह कंपनी कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होने देगी। हमारा बाजार गांव से लेकर शहर तक सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। दुनिया में सबसे अधिक और सबसे टिकाऊ व्यापार सिस्टम अगर कहीं है तो हिन्दुस्तान में है। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ने की बात कह रही है। इससे किसानों की दुर्दशा होगी उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। दुनिया के धनी देशों में किसानों को बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है। और हमारी सरकार किसान को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त करने जा रही है। सरकार को किसानों को बढ़ावा देना चाहिए वॉलमार्ट को नहीं। हम मजदूर के साथ हैं, किसान के साथ हैं, गरीब नौजवान के साथ हैं, और नौजवानों के रोजगार के साथ हैं। हम डेमोक्रेसी के पक्के समर्थक हैं। रिटेल डिक्टेटरशिप के नहीं। हम वॉलमार्ट की डिक्टेटरशिप नहीं चाहते हम विदेशी पूंजी की तानाशाही नहीं चाहते हैं।

हम इंडियन रिटेल की डेमोक्रेसी चाहते हैं। अगर हमारे देश का व्यापारी किसान आजाद है तो इस देश में डेमोक्रेसी चलेगी और अगर यह वॉलमार्ट का गुलाम हो गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें वॉलमार्ट पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार फैला रहा है। मैक्सिको में इसके ऊपर घुसखोरी के मुकदमे चल रहे हैं। वॉलमार्ट का सिद्धांत है गरीब देशों में घुसो और उनके बाजारों पर कब्जा करो। हिन्दुस्तान का रिटेल बाजार अपने आप में बहुत सक्षम है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार देश की हितों का ध्यान रखे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचे वर्ना देश आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ■

हर परिवर्तन सुधार नहीं होता : अरुण जेटली

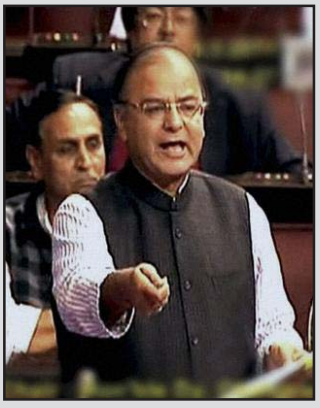

गत 6 दिसम्बर को राज्यसभा में खुदरा व्यापार में एफडीआई के मुद्दे पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता व राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा एफडीआई के खिलाफ नहीं है। मुद्दा यह है कि इसकी अनुमति किस क्षेत्र में दी जाए। हमेशा दलील दी जाती है कि खुदरा व्यापार में एफडीआई से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसके आने के बाद बड़े बिचौलिए पैदा हो जाएंगे। कहा जाता है कि इससे किसानों को फायदा होगा, तो बताना चाहता हूं कि अगर किसानों को मालामाल करना होता तो यूरोप और अमेरिका के किसान अब तक काफी अमीर हो चुके होते। हकीकत यह है कि वहां कि सरकारें किसानों को भारी सब्सिडी देती हैं। वहां के स्थानीय लोगों के विरोध के चलते मैनहट्टन में भी वॉलमार्ट नहीं खुल पाया। हम यहां श्री अरुण जेटली के भाषण के प्रमुख बिन्दु प्रकाशित कर रहे हैं :-

आर्थिक सुधार सम्भव करना एक कला है। हर बदलाव जरूरी नहीं है कि वह सुधार ही हो। भारत में यह एक प्रवृत्ति बन गई कि पश्चिमी आर्थिक देशों की तरफ से जो भी सुझाव दिया जाता है, उसे हम सुधार का कदम मान कर स्वीकार कर लेते हैं। इनमें से कुछ वास्तव में सुधार की विपरीत दिशा में ले जाते हैं जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।

क्या हममें पश्चिमी देशों को इतना कहने का साहस है कि उन देशों में आउटसोर्सिंग पर प्रतिबन्ध, नॉन-टेरिफ बैरियर का सृजन, पूरे विश्व के कृषि बाजार को ध्वस्त करने वाली फार्म सेक्टर में सब्सिडी जैसी अवधारणाएं तहस-नहस करने वाली हैं जिनमें पश्चिमी देशों को सुधार करना चाहिए। फिर भी, हमने बड़े सहज ढंग से डीजल की कीमतों में वृद्धि, कुकिंग गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की, उनकी अवधारणाओं को स्वीकार कर लिया चाहे इनसे भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर कितना ही बोझ पड़ता हो और हमने उन्हें आर्थिक सुधार का नाम दे दिया। भले ही, आपने उन्हें आर्थिक सुधार का नाम दे दिया। भले ही, आपने विपक्ष के कुछ वफादार दलों को झांसे में लेकर संसद की स्वीकृति प्राप्त कर ली, परन्तु आप इस मुद्दे पर राजनैतिक तर्क खो बैठे और लोगों को अपनी इस छल योजना में भागीदार नहीं बना सके।

भारत में रोजगार-ढांचा (जॉब स्ट्रक्चर)

किसी एक विशेष कदम उठाने से हमारी अर्थव्यवस्था विकसित होगी या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने के संदर्भ में हमें भारत के रोजगार ढांचे को देखना होगा। काम करने वाले भारतीयों में से 51 प्रतिशत लोग स्व-रोजगार हैं, जिनमें से सबसे बड़ी संख्या कृषि क्षेत्र में है। रिटेल ट्रेड (खुदरा व्यापार) में चार करोड़ भारतीय लगे हैं। आबादी के लिहाज से बीस करोड़ भारतीय रिटेल ट्रेड से प्रभावित होते हैं। केवल 18 प्रतिशत भारतीय संरचनात्मक (स्ट्रक्चर्ड) रोजगार में है और 30 प्रतिशत लोग बेरोजगार या अल्प-रोजगार के साथ जुड़े हैं। अन्तर्राष्ट्रीय रिटेलर रोजगार कम करते हैं, कभी भी बढ़ाते नहीं हैं।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर प्रभाव

जीडीपी के मुकाबले भारत में कृषि का अंशदान घटकर 16 प्रतिशत पर आ गया है। कृषि क्षेत्र में लगभग 60 प्रतिशत भारतीय लगे हुए हैं। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में जबरदस्त अल्प-रोजगारी है। सामान्य तौर पर, भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने से बड़ी संख्या में काम-काज कृषि से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं।इनमें से पर्याप्त नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बनने लगती हैं। भारत में जरूरत इस बात की है कि हमारी काम करने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए। इसके लिए जरूरी है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र कहीं अधिक चुस्त और व्यापक बन कर तेजी से आगे बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए हमें अपने को अपनी कम-लागत अर्थव्यवस्था को बदलने की जरूरत होगी, जिसमें हमें सस्ते और अच्छी किस्म के उत्पाद मिलते हैं। कोई भी आदमी जानबूझकर महंगी चीजें

खरीदना पसंद नहीं करता है। ठीक यही कारण है जिससे पैण्डुलम की दिशा कम-लागत मैन्युफैक्चरिंग अर्थ व्यवस्थाओं की तरफ जाता है। हमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सुधारों की जरूरत है, जिससे सस्ते ऋण, कम-लागत की आवश्यक वस्तुएं और बिजली उपलब्ध हो सके, समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। हमारे पास ऐसी कराधन-व्यवस्था हो जो विश्व की तुलना के आगे खड़ी हो सके। ऐसा होने पर ही हम कम-लागत मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था तैयार कर पाएंगे। मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई का सर्वप्रथम विपरीत प्रभाव यह होगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां धूल में मिल जाएंगी। भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि को 12-14 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ना होगा जैसा कि हम चीन में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पर्याप्त सुधार किए बिना, रिटेल में एफडीआई से भारत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। संरचनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय रिटेल स्रोत अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्राप्त होते हैं। यूएसए में, जब संरचनात्मक रिटेल के स्थान पर असंगठित क्षेत्र ने ले ली तो विगत 30 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक नौकरियां समाप्त हो गईं।

मल्टी -ब्रांड रिटेल में एफडीआई शुरू करने से भारी पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ ही रिटेल धंधों का विस्थापन भी होगा। इससे किसी अतिरिक्त बाजारों का काम काज पैदा नहीं होगा। वही बाजार होगा जो संगठित संरचनात्मक रिटेल और गैर-संगठित रिटेल के बीच विभाजित हो जाएगा। छोटी-छोटी दुकानों के बंद होने से भारी स्तर पर रिटेल दुकानों का विस्थापन हो जाएगा।

2009 में अत्यधिक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी यह आंकड़ा गिरकर 11.8 मिलियन पर आ गया, जिसका मतलब 7.7 मिलियन नौकरियां समाप्त हो गई। वॉलमार्ट, केयरफोर और टेस्को जैसे स्टोरों ने, जिन्होंने भारत में आने की दिलचस्पी दिखाई है, इनमें से अधिकांश स्टोर अपने उत्पादों के लिए संसाधन भारत से बाहर के देशों से लेकर आएंगे। जब एक बार हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों को नुकसान उठाना पड़ेगा तो स्पष्ट है कि ये नुकसान दो तरह से होगा। पहले तो हमारे देश में यूरोपीयन और अमेरीकी विक्रेता के हाथों में रिटेल स्टोर चीन के उत्पाद बेचेंगे। भारत सेल्ज ब्वायज और सेल्ज-गर्ल्स का देश बन जाएगा। दूसरे, भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को नुकसान होने से व्यापारियों का देश होने के कारण भारत का संकट हमारे सामने सदैव मंडराता रहेगा।

चीन का अनुभव

मल्टी-ब्रांड रिटेल के हिमायतियों का तर्क है कि इस प्रकार के रिटेल का अनुभव चीन में सफल रहा है। चीन के साथ तुलना करना गलत है।चीन और अन्य स्थानों में जो अधिकांश स्टोर माल बेचेंगे, वह चीन का माल होता है। इन अन्तर्राष्ट्रीय शृंखलाओं से चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारी लाभ पहुंचा है। क्या चीन किसी भी तरह ऐसा तर्क दे सकता है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय शृंखलाओं द्वारा स्थापित स्टोरों में उनका अपना माल नहीं बेचा जाएगा। यह बात भारत में लागू नहीं होती है।

रिटेल धंधों का स्थापन

मल्टी -ब्रांड रिटेल में एफडीआई शुरू करने से भारी पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ ही रिटेल धंधों का विस्थापन भी होगा। इससे किसी अतिरिक्त बाजारों का काम काज पैदा नहीं होगा। वही बाजार होगा जो संगठित संरचनात्मक रिटेल और गैर-संगठित रिटेल के बीच विभाजित हो जाएगा। छोटी-छोटी दुकानों के बंद होने से भारी स्तर पर रिटेल दुकानों का विस्थापन हो जाएगा। इसके अलावा भी अन्तर्राष्ट्रीय शृंखला वाले मल्टी-ब्रांड स्टोरों का संचालन कम रोजगार देने के सिद्धांत पर चलेगा। वालमार्ट का कामकाज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 422 बिलियन डालर का है। यह 21 लाख 10 हजार करोड़ के बराबर बनता है। इस भारी स्तर पर संचालन के लिए वॉलमार्ट ने अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर 15 लाख लोगों के काम पर रखा है। भारतीय रिटेल सेक्टर हमारी जीडीपी का 12 प्रतिशत बनता है। यह आकार वॉलमार्ट के अन्तर्राष्ट्रीय आप्रेशन का आधा है अर्थात् ये बनेगा- 10 लाख 38 हजार करोड़।

भारत जैसे उच्च आबादी वाले देश के लिए हम रिटेल में चार करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं और इस प्रकार इससे चार करोड़ परिवारों या 20 करोड़ व्यक्तियों का पालन पोषण होता है। वॉलमार्ट को मैनहट्टन में क्यों स्टोर खोलने की अनुमति नहीं मिली? यहां तक कि न्यूयार्क के नागरिक भी जानते हैं कि ऐसा करने से मैनहैट्टन में स्टोर बंद हो जाएंगे।

क्या रिटेल में एफडीआई से किसानों को मदद मिलेगी?

तर्क दिया जाता है कि संरचनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय रिटेल के प्रवेश से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और किसानों को मदद मिलेगी। यदि ऐसा होता है तो किसी को भी सरकार के इस प्रस्ताव में आशा की किरण नजर आएगी। परन्तु, दुख की

बात है कि यह सच नहीं है। नीचे तीन उदाहरण प्रस्तुत हैं जिनसे इस तर्क के गलत सिद्ध कर देता है।

(क) यदि बिचौलिए समाप्त हो जाने से किसानों को मदद मिलती होती तो यूएसए और यूरोपीय संघ के देशों के किसान अत्यंत समृद्ध होते। वस्तुतः, ऐसा है नहीं। यदि यूरोपीय संघ और यूएस अपने किसानों को यूएस 400 बिलियन डालर की सब्सिडी अर्थात् प्रति दिन 5000 करोड़ रुपए की सब्सिडी नहीं दें तो उनके किसान विनाश की कगार पर खड़े होते नजर आते।

(ख) भारत में केवल चीनी ही एक मात्र कृषि उत्पाद है जहां कोई बिचौलिया नहीं होता है। गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के गन्ने को चीनी मिलें ही सीधे खरीदती हैं। गन्ने को खेत से उठाकर सीधे फैक्टरी गेट तक ले जाया जाता है। यहां कोई बिचौलिया नहीं होता। चीनी ही ऐसा उत्पाद है जिसमें राज्य के परामर्श पर कीमत लागू की जाती है ताकि किसानों को भरण पोषण सुरक्षित रहे। परन्तु, आप देखेंगे कि किसी भी समय गन्ना किसानों का हजारों-करोड़ों रूपए का भुगतान चीनी मिलों के मालिक नहीं करते हैं।

(ग) विश्वभर में इस बात का अध्ययन किया गया है कि बिचौलियों को खत्म करने से किसान को लाभ पहुंचता है जहां कहीं भी अन्तर्राष्ट्रीय रिटेल का कामकाज चलाया गया है। भारत में, दुग्ध और दुध-उत्पादों की खुदरा बाजारी सहकारिता (को-आप्रेटिव) द्वारा की जाती है और प्रत्येक रूपए का 70 प्रतिशत दुग्ध उत्पादकों और 30 प्रतिशत खुदरा व्यापारियों के खाते में आता है। यूएसए में, जहां दुग्ध उत्पादों को रिटेल श्रृंखलाओं के जरिए बेचा जाता है, यह आंकड़ा उल्टा हो जाता है। वहां दुग्ध पर खर्च किया जाने वाला प्रति डालर या प्रति पौंड का 30 प्रतिशत उत्पादक के पास पहुंचता है और 70 प्रतिशत रिटेलर के पास जाता है। इससे यही सबक मिलता है कि जब बिचौलिए बीच से हटा लिए जाते हैं तो खुदरा व्यापारियों को लाभ मिलता है, न कि उत्पादकों (किसानों) को।

कुविचारित व्यापार व्यवस्था

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का यह मौलिक सिद्धांत है कि रियायतें मुफ्त में नहीं दी जाती हैं। अनुदाता क्रेता, जो कुछ भी छोड़ता है, सदैव उसका प्रभार वसूलता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 'यूनीलेट्रलिज्म' (एकपक्षीयता) का कोई स्थान नहीं होता है।

एकतरफा रियायतों पर कोई ध्यान नहीं देता है। ईयू और यूएस बड़े लम्बे समय से रिटेल में एफडीआई खोलने का दबाव बना रहे हैं। भारत ने एकतरफा रियायतें देना स्वीकार किया और उसने पश्चिमी देशों से इसके बदले रियायतें मांगें नहीं पेश कीं। सरकार ने इस बारे में जो कुछ भी किया, वह उसकी गलत व्यापार नीति का द्योतक है।

क्या रिटेल में एफडीआई के निर्णय को राज्यों पर छोड़ा जा सकता है?

एफडीआई केन्द्रीय विषय है। यह राज्यों की सूची का विषय नहीं है। इसलिए, एफडीआई पर नीति निर्माण करते समय, साधारणतया यह नहीं कहा जा सकता है कि रिटेल में एफडीआई के कार्यान्वयन का निर्णय राज्यों से सम्बन्धित है। इसके अलावा, भारत ने कम से कम 82 देशों के साथ निवेश सम्बन्धी द्विपक्षीय समझौते किए हुए हैं। प्रत्येक में निम्नलिखित धारा जुड़ी हुई है-

कहा गया है कि रिटेल में एफडीआई की अनुमति देते ही एक समर्थनकारी (बैक-एंड) इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के गठन की जिम्मेदारी भारत में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की है। वर्तमान प्रसंग में समर्थनकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोल्ड चेंस, हाईवे, परिवहन सुविधाओं और विद्युत क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। क्या ये अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखलाएं भारत में और अधिक विद्युत-उत्पादन करने जा रही हैं? क्या वे भारत में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने जा रही है? इनका स्पष्ट जवाब हमें 'नहीं' में मिलता है।

" Each Contracting Party shall accord to investments of investors of the other Contracting Party, including their operation, management, maintenance, use, enjoyment of disposal by such investors, treatment which shall not be less favourable that that accorded either to investments to its own investors or to investors of any third State" (Article 4: National Treatment and Most-Favoured-nation Treatment- BIPA).

इन द्विपक्षीय समझौतों का मूल सत्व यह है कि जब आप किसी विदेशी राज्य से किसी निवेशक को भारत में निवेश की अनुमति देते हैं तो वह निवेशक घरेलू निवेशक को दी

गई किसी अनुमति से कम हितकर नहीं हो सकता है। निवेश समझौतों का संचालन राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धांत पर होता है। आप किसी निवेशक को यह नहीं कह सकते हैं कि आपका निवेश भारत के कुछ भागों में होगा और कुछ में नहीं होगा। जब आप कहते हैं कि हम निवेश का निर्णय और इसका कार्यान्वयन राज्यों पर छोड़ते हैं तो यह बात लीपापोती वाली बात है, जिसे आपने खुद बना लिया है। इसमें जानबूझकर ऐसी खामियां बना दी गई हैं जिससे 'राष्ट्रीय व्यवहार' के कार्यान्वयन पर भविष्य में मुकदमेबाजी की जगह छोड़ दी गई है।

उपभोक्ता बाजार की प्रकृति

फ्रेग्मेंटेड (विखंडित) बाजार सदैव उपभोक्ता के हित में होता है। समेकित (कंसोलिडेडिट) बाजार एकाधिकार बाजार का सृजन करता है और इससे उपभोक्ता के हितों को नुकसान पहुंचता है। उपभोक्ता के बहुआयामी विकल्प रहने चाहिए। बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला का संचालन गहन क्षेत्रों (डीप पॉकेट्स) में जाकर होता है। आरम्भ के वर्षों में नुकसान उठाने की उनकी क्षमता अत्यधिक होती है। एक बार जब वे बाजार की एक बड़ी हिस्सेदारी पर कब्जा जमा लेते है तो उससे सप्लायर्स (आपूतिकर्ता) और उपभोक्ता दोनों आहत होते हैं। यूके में, टेस्को, सेलिसबरी और आल्डी ने 60 प्रतिशत बाजार पर कब्जा जमाया हुआ है। थाईलैण्ड ने 10 वर्ष पूर्व ही रिटल में एफडीआई को मंजूरी दी थी। आज, वे 40 प्रतिशत उपभोक्ता बाजार पर कब्जा जमाए बैठे हैं। आपूर्तिकर्ताओं को इन श्रृंखलाओं द्वारा निर्देशित कीमतों पर बेचना उनकी मजबूरी बन गई है। इसी प्रकार, उपभोक्ता के विकल्प भी सीमित होकर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं रह जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां संरचनात्मक रिटेल और असंगठित रिटेल साथ-साथ चलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, संगठित रिटेल की स्थापना न केवल महानगरों में हुई है बल्कि टायर-II और टायर-III शहरों में भी फैल गई है। इस प्रकार के सह-अस्तित्व को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू रिटेल सेक्टर संगठित क्षेत्रों में फैला है और ऐसा कोई बाध्यकारी कारण समझ में नहीं आता है कि रिटेल में एफडीआई की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए?

समर्थित (बैक-एंड) तर्क

कहा गया है कि रिटेल में एफडीआई की अनुमति देते ही एक समर्थनकारी (बैक-एंड) इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के गठन की जिम्मेदारी भारत में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की है। वर्तमान प्रसंग में समर्थनकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोल्ड चेंस, हाईवे, परिवहन सुविधाओं और विद्युत क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। क्या ये अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखलाएं भारत में और अधिक विद्युत-उत्पादन करने जा रही हैं? क्या वे भारत में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने जा रही है? इनका स्पष्ट जवाब हमें 'नहीं' में मिलता है।

भारत के परिवहन नेटवर्क पहले ही पर्याप्त रूप में मौजूद हैं। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था की शक्ति बढ़ती जाएगी तो इसमें और बेहतरी आएगी। जहां तक 'कोल्ड चेंस' की बात है, यह कोई रॉकेट सांइस नहीं है जिसे भारत के लोग खड़ा नहीं कर सकते हैं। हम बहुत कुछ अपने सामाजिक क्षेत्र पर अपने राष्ट्रीय संसाधनों को चार्ज कर रहे हैं जिनसे किसी प्रकार की सम्पत्ति का गठन नहीं होता है। यदि हम इन संसाधनों को सम्पति गठन का रूप दे दें, जैसे कि 'कोल्ड चेंस' के रूप में, तो आपको अपनी पूरी खाद्य सुरक्षा और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के लिए गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि हम इनमें से कुछ संसाधनों को भारत में 'कोल्ड चेंस' तैयार करने में लगा सकते हैं।

सरकार की कलाबाज़ी

7 दिसम्बर 2011 को वाणिज्य मंत्री ने राज्य सभा को सूचित किया था कि जब तक परामर्श और आम सहमति नहीं बनती है तब तक मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर सरकार का निर्णय निलम्बित रहेगा। मंत्री महोदय ने आगे यह भी कहा था कि राज्यों के साथ परामर्श किया जाएगा क्यों कि निर्णय करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ा जाना है। 7 दिसम्बर 2011 से लेकर अभी तक सरकार ने परामर्श-प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है और इस निर्णय को देश पर थोप दिया है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने व्यापार और उद्योग को भरोसा दिलाया था कि मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान संसदीय कार्यमंत्री श्री कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री के तौर पर बीबीसी को स्पष्टतया बताया था कि भारत रिटेल ट्रेड में एफडीआई की अनुमति देने को तैयार नहीं है। एक और कांग्रेसी नेता ने यहां तक कह दिया था कि यह राष्ट्र-विरोधी है।

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें

वाणिज्य और उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति ने स्पष्ट रूप से सरकार को रिटेल में एफडीआई शुरू न करने का परामर्श दिया था। उसकी यह राय थी कि असंगठित क्षेत्र बहुत सारे भारतीयों को रोजगार देकर असंगठित क्षेत्र के लिए एक सेटी वाल्व का कार्य करता है क्योंकि सरकार लाखों-लाखों भारतीयों को नौकरियां नहीं दे सकती है।

सरकारी तर्कों की खामियां

सरकार की रिटेल में एफडीआई लाने का यह तर्क

भ्रांतिपूर्ण है कि इससे बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के सम्बन्ध में रिटेलर सबसे बड़ा बिचौलिया होता है, जो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा बटोर लेता है। उसका काम करने का यही सिद्धांत होता है कि कम से कम कीमत पर खरीदो और ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचो। वॉलमार्ट की बिजनेस पॉलिसी है ईडीएलसी- यानी हर दिन कम लागत (एवरी डे लो कॉस्ट); वे अपनी प्रभुता का दुरूपयोग करते हैं, वे पहले तो खरीद कीमत को कम करवा देते हैं और फिर उपभोक्ता कीमतों को बढ़ा देते हैं। उनकी रणनीति यही होती है कि पहले-पहले तो नुकसान सहो और प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए पूर्व दिनांकित कीमत पर बेचते रहो। और जब आपकी मोनोपॉली (एकाधिकार) हो जाए तो फिर लोगों का शोषण करने के लिए बाजार आपका है ही।

खाद्य-बर्बादी का अतिरंजित तर्क

रिटेल में एफडीआई को इस आधार पर संगत बताया गया है कि समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर होने से कुल कृषि उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है। एक संसदीय समिति ने आईसीएआर को खाद्य-बर्बादी पर रिपोर्ट देने को कहा और इसने सीआईपीएचईटी अर्थात् सेन्ट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, पंजाब का अध्ययन शुरू किया, और उसने 2010 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि फलों की बर्बादी का आंकडा 6 से 18 प्रतिशत और सब्जियों की बर्बादी का आंकडा 6 से 12.5 प्रतिशत बैठता है। सीफेट के उक्त आंकड़े इस प्रकार हैं :

अनाज	:	**3.9-6**
दालें	:	**4.3-6.1**
तिलहन	:	**6**
फल और सब्जियां	:	**5.8-18**
दूध	:	**0.8**
मछली	:	**2.9**
मांस	:	**2.3**
पोल्ट्री	:	**3.7**

फरवरी 2011 में सीफेट के इस अध्ययन का उद्धरण खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री हरीश रावत ने लोकसभा में जवाब देते हुए दिया था। 8 मई 2012 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार ने संसद को बताया था कि फलों और सब्जियों की कुल संचयी बर्बादी 5.8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के बीच अनुमानित है। सीफेट की रिपोर्ट का आधार योजना आयोग के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी वर्किंग ग्रुप का है। परन्तु इन निष्कर्षों के विपरीत, 6 जुलाई 2010 को जारी रिटेल में एफडीआई पर डीआईपीपी के स्टडी पेपर में बताया गया है कि कुछ उद्योगों के अनुमान के अनुसार 35-40 प्रतिशत तक फल और सब्जियां, 10 प्रतिशत अनाज की बर्बादी होती है। उद्योगों के स्रोत की पहचान मालूम नहीं है। स्पष्ट है कि सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए बर्बादी के ऊंचे आंकड़े जानबूझ कर बताए हैं ताकि रिटेल में एफडीआई से वास्तव में किसानों को लाभ मिलेगा।

अन्य देशों के अनुभव

भारत की तरह ही ब्राजील ने रिटेल स्टोर पाओ दे एक्यूफार का विस्तार किया था। 1990 के दशक में रिटेल में एफडीआई की अनुमति दी गई। आज यह घरेलू स्टोर केयरफोर में मिल गया है। केयरफोर के पास नेशनल मार्केट शेयर का 27 प्रतिशत है और साओ पौलो क्षेत्र में 69 प्रतिशत है। संरचनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय रिटेल का 86 प्रतिशत नियंत्रण स्वीडिश मार्केट के लिए है, 79 प्रतिशत बेल्जियन मार्केट के लिए, 78 प्रतिशत आस्ट्रेलिया में है, 75 प्रतिशत जर्मनी में है, 70 प्रतिशत मैक्सिको में है, 69 प्रतिशत केनेडा में है, 60 प्रतिशत यूके में है, 65 प्रतिशत फ्रांस में है और 40 प्रतिशत थाईलैण्ड में है।

भारत सबसे बड़ा आखिरी गढ़ है जो 'टॉप डाउन-ट्रेड' मॉडल का अनुसरण करने की बजाए 'बॉटम अपट्रेड' का अनुसरण करता है। भारत काम-धंधों का सृजन करता है और उपभोक्ताओं को बहुआयामी अवसर और बहु-विकल्प प्रदान करता है। आज, यूपीए ने अपने इस आखिरी बड़े गढ़ को त्याग दिया है।

खतरा

मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई के कारण कुछ थोड़े से ही खरीदार बाजारों पर नियंत्रण कर पाएंगे और बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम कर पाएंगे। उनके प्रभुत्व का दुरूपयोग स्पष्ट है। जितना ज्यादा यह बढ़ते चले जाएंगे, उतने ही बाजार में आपको तब तक कुछ ही खरीदार मिलेंगे जब कि कि वे अल्पक्रेताधिकार (आतिगोप्सोनी) का प्रबंधन कर लें। यूके में किसानों के पास केवल चार खरीदारों को बेचने का अधिकार प्राप्त है। यूएस में पांच की श्रृंखला है जो फार्म उत्पाद खरीदती है। पेप्सी जैसी एक अलग सा उदाहरण है जिसे बार-बार 'fallacy of composition'. का पाठ पढ़ाया जाता है। कुछेक अलग से उदाहरण कुछेक के लिए सही हो सकते हैं और ये सामान्यतया सब पर सही नहीं बैठते हैं। मैक्सिको का रिटेल में एफडीआई खोलने का नार्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एनएएफटीए) का दोहरा असर पड़ा और इसे नुकसान उठाकर अपने 50 प्रतिशत स्टोरों को बंद करना पड़ा।■

लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे : वेंकैया नायडू

राज्यसभा में खुदरा व्यापार में एफडीआई के मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री ने न केवल रिटेल में एफडीआई का विरोध किया था और कहा था कि ''भारत को इस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता नहीं है जिससे रोजगार बढ़ने की बजाए, रोजगार समाप्त हो जाते हैं तो अब कैसे इससे रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे? हम यहां श्री एम. वेंकैया नायडू के भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं :-

- आपने इस विषय पर बहस और वोटिंग की बात को पहले क्यों स्वीकार नहीं किया और क्यों संसद के पांच मूल्यवान दिनों को बर्बाद किया?
- आपने 7 दिसम्बर 2011 को संसद में किए गए आश्वासनों से क्यों मुंह फेर लिया और क्यों इस प्रकार संसद की अवमानना की?
- तृणमूल कांग्रेस द्वारा समर्थन न किए जाने के बाद आप अल्पमत में रह गए। एसपी, बीएसपी और डीएमके ने भी रिटेल में एफडीआई का विरोध किया। आपने एकतरफा निर्णय कैसे ले लिया?
- आपने विपक्ष में रहते हुए एफडीआई का विरोध किया था और इसे 'राष्ट्र-विरोधी' कहा था तो अब यह कैसे 'राष्ट्रहित' बन गया है। आपके प्रधानमंत्री ने न केवल रिटेल में एफडीआई का विरोध किया था और कहा था कि ''भारत को इस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता नहीं है जिससे रोजगार बढ़ने की बजाए, रोजगार समाप्त हो जाते हैं तो अब कैसे इससे रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे?
- क्या यह आपकी नीति है कि सत्ता से बाहर हों तो कुछ और बात करें और जब सत्ता में हों तो कुछ दूसरी बात करें?
- क्या आपको मालूम नहीं है कि समेकित (कंसोलिडेटेड) बाजार से उपभोक्ता के विकल्प सीमित रह जाते हैं और उपभोक्ता बंधुआ बनकर रह जाता है?
- क्या आपको मालूम नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से प्रतिस्पर्धा (कम्पीटिशन) समाप्त हो जाती है और फिर उपभोक्ता का शोषण होता है?
- क्या आपको मालूम है कि भारत का केवल 18 प्रतिशत श्रमिक बल ही संरचनात्मक (स्ट्रक्चर्ड) रोजगार में लगा हुआ है, तो 30 प्रतिशत बेरोजगार हैं और 51 प्रतिशत स्व-रोजगार में जुटे हैं?
- क्या आपको मालूम है कि रिटेल में एफडीआई से इन धंधों का विस्थापन हो जाएगा? क्या आपने इस सम्बन्ध में दूसरे देशों के अनुभवों का अंदाजा लगाया है?
- क्या आपको मालूम है कि न केवल रिटेल व्यापारी, बल्कि करोड़ों हॉकरों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे?
- क्या आपको 'आटोमैटिक रूट' के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण में 100 प्रतिशत एफडीआई के तजुर्बे की जानकारी है? एफडीआई के माध्यम से 25 बिलियन

आपने विपक्ष में रहते हुए एफडीआई का विरोध किया था और इसे 'राष्ट्र-विरोधी' कहा था तो अब यह कैसे 'राष्ट्रहित' बन गया है। आपने प्रधानमंत्री ने न केवल रिटेल में एफडीआई का विरोध किया था और कहा था कि ''भारत को इस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता नहीं है जिससे रोजगार बढ़ने की बजाए, रोजगार समाप्त हो जाते हैं तो अब कैसे इससे रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे?

डालर से अधिक राशि के निवेश की संभावना आंकी गई है, परन्तु इस निर्णय के 10 वर्षों के बाद भी उपर्युक्त राशि का 5 प्रतिशत भी निवेश नहीं हो पाएगा।

- आपकी सरकारी अधिसूचना का क्या औचित्य है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 30 प्रतिशत माल घरेलू बाजार से खरीदेंगी, जिसका मतलब यह है कि 70 प्रतिशत देश के बाहर से खरीदा जाएगा और इस प्रकार भारत के निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ेगा?
- आपने कॉमर्स पर बनी डिपार्टमेंट सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह से क्यों नकार दिया है, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि कितने श्रमिकों का विस्थापन हो जाएगा, कितनी नौकरियां चली जाएंगी, कितनी 'सप्लाई चेंस' का विघटन हो जाएगा, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का वर्तमान संतुलन बिगड़ जाएगा, आदि-आदि ऐसी अनेक बातें इसमें थी?
- क्या आपको मालूम है कि न्यूयार्क शहर में वॉलमार्ट खोलने की अनुमति नहीं है?
- क्या आपको मालूम है कि यूएस में वॉलमार्ट के प्रवेश और एफडीआई के संचालन के कारण 2001 से 2007 तक 40,000 यूएस फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ीं जिससे लाखों लोगों की नौकरियां समाप्त हो गई और 2001 से 2007 के बीच 60,000 से अधिक स्वतंत्र रिटेलरों का व्यापार खत्म हो गया?
- आप भारतीय रिटेलरों और बिचौलियों पर दोष मढ़ रहे हैं। यदि ऐसा है तो उन बड़े-बड़े भीमकाय रिटेलरों का क्या होगा? आप भारतीय रिटेल ट्रेडर्स (तथाकथित बिचौलियों) को खत्म कर देना चाहते हैं और विदेशी बिचौलियों को लाना चाहते हैं। क्या वे सीधे प्रोड्यूसरों से खरीदने जा रहे हैं?
- क्या आपको मालूम है कि बुद्धिमान लोग दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं और मूर्ख अपने अनुभव से सीखते हैं?
- यदि रिटेल में एफडीआई का मुद्दा आपको इतना महत्वपूर्ण और प्रिय लगता है तो आपने इसे अपने 2004 और 2009 के घोषणापत्रों में क्यों नहीं डाला?
- यदि एफडीआई इतना ही महत्वपूर्ण था तो आप पिछले साढ़े आठ वर्षों में अब तक क्या कर रहे थे?
- क्या आप भूल गए कि 2007 में आपने वायदा किया था कि न्यूक्लियर बिल पारित होने के बाद पर्याप्त बिजली का उत्पादन किया जाएगा और हर गांव को बिजली से रोशन कर दिया जाएगा? इस बिल के पारित होने के बाद क्या आप एक मैगावाट बिजली का उत्पादन भी दिखा सकते हैं?
- यदि आप केरल जैसी अपनी ही राज्य सरकारों को भरोसा नहीं दिला सकते हैं तो पूरे देश को कैसे भरोसा दिला पाएंगे?
- आपके सहयोगी दल एनसीपी केन्द्र में एफडीआई का समर्थन करती है और श्री प्रफुल्ल पटेल के अनुसार महराष्ट्र में एफडीआई के बारे में वह निश्चित नहीं हैं।
- आप रिटेल में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के बारे में एनडीए घोषणापत्र का उल्लेख करते हैं। आपको मालूम है कि तब एनडीए को पराजय का सामना करना पड़ा था तो क्या आप भी अगले चुनाव में इसी प्रकार की दुर्गति देखना चाहते हैं?

आपकी सरकारी अधिसूचना का क्या औचित्य है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 30 प्रतिशत माल घरेलू बाजार से खरीदेंगी, जिसका मतलब यह है कि बारी 70 प्रतिशत देश के बाहर से खरीदा जाएगा और इस प्रकार भारत के निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ेगा?

सहयोगी दलों से सवालः-

- आप इस बात को कैसे उचित ठहरायेंगे कि आप एफडीआई पर अपने भाषणों में विरोध करते हैं और फिर दूसरी तरफ आप यूपीए सरकार के बचाए रखने के लिए पिछले रास्ते से वॉक-आउट कर उसका समर्थन करते हैं?
- क्या भ्रष्टाचार, महंगाई, अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन, किसानों की आत्म हत्याएं और रिटेल ट्रेडरों की बर्बादी आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती तो ऐसे में आप कैसे इस जन-विरोधी सरकार का समर्थन कर सकते हैं?
- जब आपकी मर्जी होती है तो आप बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं, उसके साथ काम करते हैं, सत्ता का मजा लेते हैं, नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं और फिर आप यूपीए सरकार को बचाने के लिए बीजेपी नेतृत्व को उल्लेख करने लगते हैं। ऐसे में आप किस प्रकार से अपने दृष्टिकोण को सही ठहरा सकते हैं?
- दिन में कुश्ती रात में दोस्ती- नहीं चलेगा।
- सीबीआई की विश्वसनीयता क्या रह गई है? हर आदमी जानता है कि सीबीआई है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सभी जानते हैं कि सीबीआई किन-किन पार्टियों की जांच कर रही है। ■

रिटेल में एफडीआई पर मतदान क्यों नहीं?

अरुण जेटली

देश में इस बारे में जायज आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि संसद का वर्तमान सत्र चलेगा या नहीं। ऐसा सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बातचीत के रुप में सामान्य संबंधों में उत्पन्न गतिरोध के कारण हुआ है। जाहिर है कि लोकतंत्र में इस तरह की स्थिति उचित नहीं है। विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति संभव है और कभी-कभी यह समय की बरबस आवश्यकता बन जाती है। लेकिन ऐसे माहौल में जहां आज की सरकार जोड़-तोड़ से बची हो और जहां राजनैतिक टकराव का माहौल बनाया गया हो वहां आम सहमति बनना हमेशा मुश्किल होगा।

सरकार ने 7 दिसम्बर 2011 को संसद के दोनों सदनों को आश्वासन दिया था कि मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई लाने का फैसला तब तक स्थगित रहेगा जब तक वह सभी साझेदारों के साथ सलाह मशविरा नहीं कर लेती और इस पर आम सहमति नहीं बना लेती। अन्य के अलावा राज्य सरकारों और राजनैतिक दलों को साझेदार बताया गया था। इसके बाद सरकार की तरफ से राजनैतिक दलों या राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए गंभीरता से एक बार भी प्रयास नहीं किया गया। जब हमने सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया, तो जवाब मिला कि उसने संसद को आश्वासन दिया है कि वह राजनैतिक दलों और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके आम सहमति तक पहुंचेगी। उसने संसद को आश्वासन नहीं दिया कि वह ''सभी'' राजनैतिक दलों और ''सभी'' राज्य सरकारों के साथ सलाह करेगी।

सरकार ऐसी धारणा बनाने की कोशिश कर रही है कि वह नई पीढ़ी के सुधार शुरू करना चाहती है। उसने ''सुधार'' शब्द को बदनाम किया है। सुधार मुमकिन करने की कला है। अगर सुधार कीमतों में वृद्धि, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, रसोई गैस के दाम बढ़ने, रसोई गैस के कोटा पर प्रतिबंधों, के रुप में पूरी तरह जन-विरोधी होंगे, तो उन्हें कौन पसंद करेगा। कृषि क्षेत्र संकटपूर्ण स्थिति में है। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की गति धीमी हो गई है। ऊर्जा क्षेत्र को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है और कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। निर्माण क्षेत्र उच्च ब्याज दर से बुरी तरह प्रभावित है, व्यापार सुविधा का अभाव है, बिजली की अधिक दरें हैं और मुद्रा का काफी अवमूल्यन हुआ है।

स्पष्ट रूप से सरकार कुछ हद तक चालाकी कर रही थी। विपक्ष के रूप में हमारा रुख अभी भी नरम है। हमने सरकार को आश्वासन दिया कि संसद का सत्र सामान्य तरीके से चलेगा बशर्ते कार्यसूची में सबसे ऊपर वोटिंग के प्रावधान के अंतर्गत मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर चर्चा कराने का कार्य रखा जाए। एक बार जब चर्चा हो जाएगी, विधायी कार्यों सहित सदन का बाकी कामकाज चलता रहेगा। यूपीए सरकार ने सुनियोजित तरीके से दलील देनी शुरु कर दी कि नीतिगत मामले में वोटिंग का प्रस्ताव कभी नहीं रखा गया। हमने पहले के उदाहरणों का हवाला दिया जब संसद में वोटिंग के प्रावधान के अंतर्गत नीतिगत मामलों पर बहस कराई गई है।

संसदीय लोकतंत्र में वोटिंग को प्रतिकूल क्यों माना जा रहा है? वास्तव में लोकतंत्र संख्या का खेल है। वोटिंग लोकतंत्र का सार है। कार्यपालिका के फैसलों पर संसदीय नियंत्रण होना चाहिए। निंदा प्रस्ताव के जरिये कार्यपालिका के फैसलों को संसद द्वारा अस्वीकार करना सामान्य दस्तूर है। मुद्दों पर केवल चर्चा करना ही काफी नहीं है। इन पर बहुमत का निर्णय जानना जरुरी है ताकि शासक के इरादे पता चल सकें। ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि सरकार वोटिंग के प्रावधान पर तब तक सहमत नहीं होगी जब तक वफादार विपक्षी दलों के बीच ''नियत अविश्वसनीय पात्रों'' को अपने पक्ष में मतदान करने या मतदान से अनुपस्थित रखने का बंदोबस्त नहीं कर लेती। ऐसा लगता है

कि सरकार इस बारे में जरा भी गंभीर नहीं है कि संसद का सत्र चले। वह गतिरोध के लिए हितकर स्थिति बना रही है।

इस सत्र से मेरी उम्मीदें हैं कि हम अर्थव्यवस्था की हालत पर गंभीरता से चर्चा करें। सकल घरेलू उत्पाद की दर में काफी हद तक गिरावट आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का डर बना हुआ है। ''आई'' को ब्रिक्स से बाहर करने का खतरा भी मंडरा रहा है।

सरकार ऐसी धारणा बनाने की कोशिश कर रही है कि वह नई पीढ़ी के सुधार शुरू करना चाहती है। उसने ''सुधार'' शब्द को बदनाम किया है। सुधार मुमकिन करने की कला है। अगर सुधार कीमतों में वृद्धि, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, रसोई गैस के दाम बढ़ने, रसोई गैस के कोटा पर प्रतिबंधों, के रुप में पूरी तरह जन-विरोधी होंगे, तो उन्हें कौन पसंद करेगा। कृषि क्षेत्र संकटपूर्ण स्थिति में है। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की गति धीमी हो गई है। ऊर्जा क्षेत्र को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है और कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। निर्माण क्षेत्र उच्च ब्याज दर से बुरी तरह प्रभावित है, व्यापार सुविधा का अभाव है, बिजली की अधिक दरें हैं और मुद्रा का काफी अवमूल्यन हुआ है।

वर्तमान सत्र में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए। लोकपाल विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट में अनेक मुद्दों पर आम सहमति है। हालांकि सभी मुद्दों पर आम सहमति नहीं है। प्रवर समिति द्वारा दिये गए कुछ सुझावों के अलावा कुछ और सुधारों की जरुरत है जिससे सरकार के शिकंजे से मुक्त कराकर सीबीआई की स्वतंत्रता को मजबूत किया जा सके। जिस तरह

सत्र की शुरुआत में सरकार ने सीएजी जैसी संस्था को बदनाम कर विवाद पैदा करने का बेतुका प्रयास किया। सीएजी के एक पूर्व अधिकारी को उत्तरदायी ठहराते हुए पुराने को नया रुप देने वाला कथानक सुर्खियों में आ गया। यूपीए अध्यक्ष ने यह राय देकर खुद इस कोरियोग्राफी में हिस्सा लिया कि 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन में नुकसान के आंकड़ों के लिए भाजपा जिम्मेदार है। सरकार उस वक्त हास्य का पात्र बन गई जब टेलीविजन पर इंटरव्यू के दौरान सम्बद्ध अधिकारी आक्रामक हो गया और उसने उस व्यक्ति की पहचान बदल दी जिसने सीएजी की सिफारिश में दखल दिया था। वह पीएसी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी नहीं थे बल्कि कोई पीएसी का कोई ऐसा सदस्य था जिसे पहचानना मुश्किल है और जिसने सीएजी रिपोर्ट में हस्तक्षेप किया।

सरकार ने समान अधिकार प्राप्त सदस्यों की अनदेखी करते हुए प्रवर समिति की रिपोर्ट आने से पहले नजर बचाकर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की है, उससे एक गलत मिसाल कायम की है। उसने यह आभास दिया है कि सरकार के लिए सीबीआई पर अपना नियंत्रण छोड़ना तकलीफदेह है, जिसका इस्तेमाल उसके अपने लंबे कार्यकाल के लिए किया जाता रहा है। कोयला ब्लॉकों के आबंटन में घोटाले पर संसद में लंबी बहस कराने की जरुरत है।

सत्र की शुरुआत में सरकार ने सीएजी जैसी संस्था को बदनाम कर विवाद पैदा करने का बेतुका प्रयास किया। सीएजी के एक पूर्व अधिकारी को उत्तरदायी ठहराते हुए पुराने को नया रूप देने वाला कथानक सुर्खियों में आ गया।

यूपीए अध्यक्ष ने यह राय देकर खुद इस कोरियोग्राफी में हिस्सा लिया कि 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन में नुकसान के आंकड़ों के लिए भाजपा जिम्मेदार है। सरकार उस वक्त हास्य का पात्र बन गई जब टेलीविजन पर इंटरव्यू के दौरान सम्बद्ध अधिकारी आक्रामक हो गया और उसने उस व्यक्ति की पहचान बदल दी जिसने सीएजी की सिफारिश में दखल दिया था। वह पीएसी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी नहीं थे बल्कि पीएसी का कोई ऐसा सदस्य था जिसे पहचानना मुश्किल है और जिसने सीएजी रिपोर्ट में हस्तक्षेप किया।

महत्वपूर्ण विधायी कार्य लंबित हैं। हम इस कामकाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर आम सहमति कायम कर सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने से पहले, सरकार को रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर जारी गतिरोध को दूर करना होगा। सरकार वोटिंग के प्रावधान के साथ जितनी जल्दी इसे हल करेगी, संसद का कामकाज उतना ही आसान हो जाएगा।■

लेखक राज्य सभा में विपक्ष के नेता हैं

(द इंडियन एक्सप्रेस से साभार)

गुजरात में भाजपा की जीत तो सुनिश्चित है ही सभी स्वीकारते हैं- भाजपा विरोधी भी

✍ अम्बा चरण वशिष्ठ

गुजरात विधान सभा का चुनाव अभियान आजकल अपनी चरम सीमा पर है। सभी दल व उम्मीदवार अपने प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।

गुजरात में चुनावी संघर्ष भाजपा और कांग्रेस के बीच है। बाकी दलों का प्रभाव तथा उनकी उपस्थिति तो बस नगण्य है। वह तो मैदान में केवल इसलिये हैं कि कोई यह न कहे कि उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं।

आज नहीं, पिछले दो वर्षो के अधिक समय से जनता, समाचार माध्यम तथा समीक्षक एक ही स्वर में कहते आ रहे हैं कि मुख्य मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी भाजपा सरकार की शानदार वापसी कर हैटट्रिक मारेंगे।

कांग्रेस श्री मोदी से इतनी डरी हुई है कि वह अपने कदम बड़ी फूंक-फूंक कर रख रही है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी व उनके युवराज भी सहमे हुये हैं। उन्हें यही डर सताये जा रहा है कि कहीं कोई शब्द भूल से भी ग़लत न निकल जाये और श्री मोदी पिछली बार की तरह बाज़ी उन पर पलट दें। दोनों ही नेता चुनाव प्रचार शुरू हो जाने के बाद अन्तिम चरणों में ही अपनी हाज़िरी लगवा रहे हैं। इससे पूर्व गुजरात जाने का वह साहस न जुटा पाये।

प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह भी अपनी हाज़िरी लगवाने पहुंच गये। चुनाव है। श्री मोदी की चाहते हुये भी तारीफ कर नहीं सकते थे, वरना सोनिया जी नाराज़ हो जायेंगी। इसलिये दो मनगढ़न्त आरोप थोप दिये। फरमाया कि गुजरात में अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रधान मन्त्री जी भूल गये कि गुजरात में पिछले दस वर्ष में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और बिलकुल अमन-चैन है। फिर अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना कहां से पैदा हो गई? यह शायद उन्हें स्वयं भी मालूम नहीं। वह यह भी भूल गये कि यदि अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो वह केवल असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र सरीखे राज्यों में है, जहां कांग्रेस शासन है और जहां पिछले दो-तीन सालों में कई साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं और होते रहते हैं।

डा0 मनमोहन सिंह को यह भी याद नहीं रहा कि 1984 में केवल कांग्रेस राज्यों में हुये सिख-विरोधी दंगों में मारे गये 5 हजार से अधिक सिखों को आज तक वह न्याय दिलवा पाने में अक्षम रहे हैं।

प्रधानमंत्री जी ने यह भी आरोप लगा दिया कि श्री मोदी गुजरात में जनता को पीने का पानी मुहैया करवाने में असफल रहे हैं। यह कहते समय प्रधान मन्त्री यह भी भूल गये कि केवल एक वर्ष पूर्व ही उन्होंने मोदी सरकार को वाटरशैड प्रबन्धन के लिये प्रधान मन्त्री का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया था।

इस प्रकार डा0 मनमोहन सिंह सरीखे कांग्रेस नेता आये तो कांग्रेस के लिये वोट बटोरने के लिये, पर उल्टे कांग्रेस की ही मिट्टी पलीद कर गये।

भाजपा जनता के आशीर्वाद से 1995 से लगातार सत्ता में है और कांग्रेस वनवास में। कांग्रेस के नेता भी अन्दर ही अन्दर मानते हैं कि गुजरात में उनकी हारी हुई बाज़ी है। कांग्रेस की तो हालत इतनी पतली है कि उसे सूझ नहीं रहा कि वह क्या करे या न करे। हड़बड़ाहट में उसने अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर दी पर उसे दूसरे ही दिन वापस लेना पड़ा। वह महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।

भाजपा प्रदेश की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस केवल 173 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि राकांपा कांग्रेस के साथ समझौते के तहत 9 सीटों पर पूर्व मुख्य मंत्री केशुभाई पटेल के नेतृत्व वाली पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी भी चुनाव मैदान में है। पार्टी ने कई स्थानों पर अपने प्रत्याशी खड़े की हैं। केशुभाई अपनी सीट भी बचा पायेंगे तो बड़ी ग़नीमत होगी।

हमारे समाचार पत्र व कई संगठन गुजरात के आईपीएस अधिकारी श्री संजीव भट्ट के मुख्य मन्त्री श्री मोदी के विरुद्ध अभियान को बहुत तूल दे रहे थे। उनका अभियान श्री मोदी का बालबांका नहीं कर पाया। भाजपा तब भी कह रही थी कि भट्ट सरकारी पद पर होते हुये भी कांग्रेस के हाथों खेल रहे हैं। तब तो कांग्रेस व भट्ट दोनों ही इस तथ्य को नकारते रहे। पर अब चुनाव में बिल्ली थैले से बाहर आ गई। कांग्रेस ने श्री भट्ट की पत्नी श्रीमती श्वेता

भट्ट को मुख्य मन्त्री श्री मोदी के विरूद्ध चुनाव में उतार दिया है। परिणाम क्या होगा यह सब को पता है पर कांग्रेस और भट्ट की पोल खुल गई है।

भाजपा के सभी प्रमुख नेता - राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी, लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री वेंकैया नायडू एवं श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम रूपाला, राष्ट्रीय सचिव श्री नवजोत सिंह सिद्धू, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती स्मृति ईरानी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री बलबीर पुंज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आर.सी. फलदू सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल (हिमाचल प्रदेश), श्री शिवराज सिंह चौहान (मध्यप्रदेश), डॉ. रमन सिंह (छत्तीसगढ़), श्री मनोहर पर्रिकर (गोवा), श्री अर्जुन मुंडा (झारखंड), श्री जगदीश शेट्टार (कर्नाटक), बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी तथा अन्य वरिष्ठ नेतागण - पार्टी की जीत को और भी गौरवशाली बनाने में जुट गये हैं। संगठन महामन्त्री श्री रामलाल संगठन को चुस्त-दुरूस्त रखने के लिये पिछले कई महीनों से प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय सह-संगठन महामन्त्री श्री वी सतीश तो लगभग तीन मास से गुजरात में ही डेरा डाले हुये हैं।

2007 के विधान सभा चुनाव में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 43.12 प्रतिशत मत प्राप्त कर 117 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के पल्ले केवल 59 स्थान ही आये थे। प्राप्त संकेतों व विभिन्न समाचारपत्रों व चैनलों द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा इस बार और भी मज़बूत व गौरवशाली होकर उभरेगी। श्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात में सुशासन, अभूतपूर्व विकास के आयाम, शुचिता और सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है जबकि कांग्रेस छल, कपट और झूठ की राजनीति कर रही है। गुजरात की जनता किसके गले में जीत का हार पहनायेगी, यह सब को पता है। बस 20 दिसम्बर को मतगणना की ही प्रतीक्षा है। ■

(लेखक भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

विकास के रोल मॉडल हैं नरेंद्र मोदी : लालकृष्ण आडवाणी

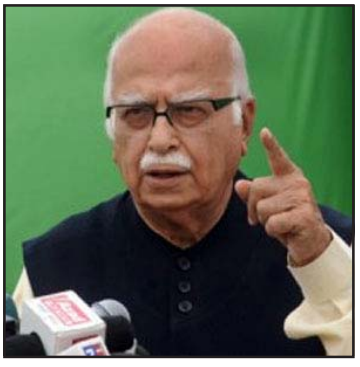

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास का 'रोल मॉडल' करार दिया। इसी के साथ ही उन्होंने राज्यों को भी सीख दी कि वे विकास के मामले में श्री मोदी का अनुकरण करें। गत 3 दिसम्बर को गांधीनगर जिले के कलोल और मनसा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए श्री आडवाणी ने कहा, ''नरेंद्र मोदी गुजरात में विकास के बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए वह इस बाबत एक 'रोल मॉडल' हैं कि किस तरह शासन करना है, किस तरह का प्रशासन देना है और सबसे गरीब तबके का ख्याल किस तरह रखना है।'' ■

गुजरात का विकास पूरे विश्व में विख्यात : नितिन गडकरी

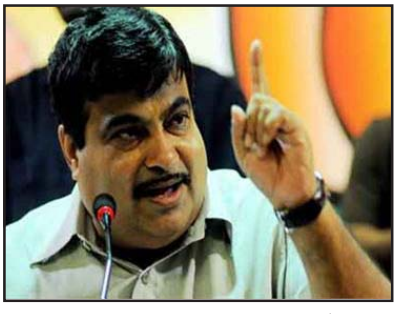

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने गुजरात के विकास मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य के लोगों को विधानसभा चुनाव में 'विकास की राजनीति' की जीत सुनिश्चित करनी चाहिए। श्री गडकरी ने 27 नवम्बर को सूरत में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''गुजरात का विकास पूरे विश्व में विख्यात है। लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए भाजपा को वोट देना चाहिए कि विकास की राजनीति जीते।'' श्री गडकरी ने कहा कि गुजरात ने औद्योगिक सहित सभी क्षेत्रों में जबर्दस्त विकास किया है। भाजपा ने समाज के सभी वर्गों का विकास किया है। राज्य के भाजपा शासन में गुजरात ने जबर्दस्त कृषि विकास किया है।'' ■

भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र

भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव-2012 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली एवं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित अनेक वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि घोषणा पत्र तो सभी राजनीतिक दल जारी करते हैं लेकिन यह 'संकल्प-पत्र' है। प्रस्तुत है प्रमुख बिन्दुः-

प्रस्तावना

- कुशल और पारदर्शी प्रशासन के साथ ग्यारह वर्षों में 4,000 दिन की ऐतिहासिक विकास यात्रा
- गुजरात प्रशासन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना -250 से ज्यादा पुरस्कार हासिल किये, प्रत्येक पन्द्रह दिन पर औसतन एक पुरस्कार।
- तीव्र, किन्तु संतुलित आर्थिक विकास- तीन क्षेत्रों-उद्योग, कृषि और सेवाओं में 10 वर्षों में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा विकास
- समग्र, व्यापक और चौतरफा विकास
- गुजरात ने वैश्विक ऊंचाइयों को छुआ और विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किये
- पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति आय चार गुना बढ़ी-2001 में 19,823 से बढ़कर 2011 में 75,115 हो गई
- गुजरात के पहले 42 वर्ष (1960 से 2002) में योजनागत खर्च 55,534 रुपये था। जबकि इसके विपरीत पिछले दस वर्ष में गुजरात के विकास के लिए योजनागत खर्च 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- हमने करों में वृद्धि किये बिना गुजरात के राजस्व घाटे की कायापलट कर उसे राजस्व अधिशेष राज्य बना दिया।
- निरंतर विकास और इसके लिए हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अनुरुप और स्थिर शासन गुजरात के लिए आर्थिक विकास कोई नया तथ्य नहीं है। अब चुनौती है प्रगति की रफ्तार बनाए रखना और विकास की नई ऊंचाइयों को छूना। हमारी काफी उपलब्धियां रहीं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम और अधिक प्रयास कर रहे हैं। हमारा सपना है:
- दुनिया के विकसित देशों के बराबर समग्र विकास

- अधिक आधुनिक और पारदर्शी प्रशासन

शिक्षा

- प्राइमरी स्कूलों में शत-प्रतिशत दाखिले का लक्ष्य हासिल और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने का अनुपात घटकर 2 प्रतिशत। हम बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर को शून्य पर ले आएंगे और उसे गुणोत्सव जैसी पहल के जरिये उसी स्तर पर स्थिर कर देंगे, हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार करेंगे।
- गरीब छात्रों की उच्च उच्च शिक्षा जारी रखने शिक्षा जारी रखने में सहायता के लिए के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना
- शहरी इलाकों में छात्रावासों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा ताकि 40,000 छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था की जा सके। लड़कियों के छात्रावास पर मुख्य रुप से ध्यान दिया जाएगा।
- खेल स्कूल और ग्रीन स्कूल जैसे नये तरह के स्कूल, विशेष तरह के विश्वविद्यालयों और ग्लोबल संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- विशेष तरह के विश्वविद्यालयों की स्थापना की परम्परा को जारी रखते हुए, हम समुद्री, ऑटो, बुनियादी ढांचे, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, बायो-टेक्नोलॉजी आदि के लिए ऐसे और संस्थान स्थापित करेंगे।
- विद्यालक्ष्मी बांड का दायरा बढ़ाकर इसमें राज्य भर के सरकारी स्कूलों की सभी लड़कियों को शामिल किया जाएगा (अभी यह सुविधा केवल उन गांवों में थी जहां महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है)
- गुणवत्ता के आधार पर शहरी शिक्षा समितियों को 100 प्रतिशत वेतन अनुदान
- आदिवासी इलाकों, रेत से घिरे क्षेत्रों और नमक बनाने वाले इलाकों में सहायता अनुदान स्कूलों की स्थापना को प्राथमिकता

स्वास्थ्य

- स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थानों और सुविधाओं का विकेन्द्रीकरण
- आदिवासी क्षेत्रों सहित प्रत्येक प्रमुख जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी
- सरकारी स्व वित्त मेडिकल कॉलेजों के जरुरतमंद छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरु की जाएगी।
- हाल ही में स्थापित गुजरात मेडिकल सेवा निगम के जरिये बहुत ही कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं और डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- मुख्यमंत्री अमृतम् (एमए) योजना का धीरे-धीरे विस्तार किया जाएगा ताकि इसमें नव (निचले) मध्यम वर्ग के परिवारों को शामिल किया जा सके। इस समय गरीब परिवारों को जानलेवा बीमारियों जैसे कैंसर, दिल की बीमारियों, स्नायु रोगों तथा किडनी की बीमारी के इलाज के लिए प्रति वर्ष 2,00,000 रुपये देने की व्यवस्था है।
- सूरत, वडोदरा, राजकोट और उत्तरी गुजरात में कैंसर, किडनी और दिल की बीमारियों के इलाज के लिए नये स्पेशलिटी अस्पताल स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे।
- मां और बच्चे की देखभाल के लिए विभिन्न पहल की जाएंगी जिनमें कुपोषण से निपटने के लिए मिशन बलम् सुखम्, नवजात शिशु और मां को सुरक्षित ले जाने के लिए खिलखिलात वैन, नंद घर (आधुनिक आंगनवाड़ियां), माता यशोदा पुरस्कार शामिल हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल के अंतर्गत बुजुर्गों के लिए अस्पताल/वार्ड, एमडी (बुजुर्गों) कोर्स की शुरुआत और रविवार को ओपीडी क्लीनिक की व्यवस्था शामिल है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर ओल्ड ऐज होम को बढ़ावा देने के लिए चिरायु योजना।

कृषि और पशु पालन

- राज्य में पिछले 40 वर्षों में केवल 6.70 लाख विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गए, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने केवल 11 वर्षों में ऐसे 4 लाख कनेक्शन प्रदान किये, हम आगे ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे सभी लंबित मांगों को तत्काल पूरा किया जा सके।
- किसानों और सखी मंडलों को कृषि और व्यावसायिक कर्ज में सहायता और छूट
- हम सात लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बूंद-बूंद करके (ड्रिप)/फव्वारे से सिंचाई की व्यवस्था कर चुके हैं। हम इन प्रणालियों के अंतर्गत और अधिक जमीन को लाएंगे और अपने आदर्श वाक्य 'प्रति बूंद अधिक फसल' को और आगे बढ़ाएंगे।
- कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
- राज्य सरकार कपास उगाने वाले किसानों से लिये जाने वाले बीमा के अधिक प्रीमियम का बोझ बांटेगी
- पिछले दशक में सब्जियों और फलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। हमारी सब्जियां और फल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचे। ग्रीन हाउस, पौली हाउस, नेट हाउस आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि गुजरात देश की सब्जी

सब्जी की डलिया की डलिया बन सके।

- छोटे और सीमांत किसान सहकारी संगठनों से लिये गए कृषि ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज देते हैं। सरकार 3 प्रतिशत ब्याज देकर उनका बोझ कम करेगी ताकि किसानों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़े।
- नवगठित गोचर विकास बोर्ड के जरिये गोचर विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
- प्रत्येक जिले में कोल्ड स्टोरेज और एग्री-प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी

सिंचाई

- 16 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई जाएगी
- 'सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई (एसएयूएनआई) योजना के अंतर्गत अगले तीन वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये की लागत से सौराष्ट्र के सभी बांधों को नर्मदा के पानी से भरा जाएगा
- पोरबंदर जिले के रणवाव और कुटियाना तथा जूनागढ़ जिले के मंगरौल और कैशोड के अलावा भाल के घेड़ इलाके में नहर का निर्माण किया जाएगा ताकि बारिश का पानी समुद्र में जाने से रोका जा सके और उसे काम में लाया जा सके, भू-क्षरण पर अंकुश लगाया जाएगा और हजारों हेक्टेयर भूमि पुनर्निर्मित की जाएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद से, कलपसार परियोजना तेजी से कार्यान्वित की जाएगी

समग्र विकास

- 'मेरा इलाका मेरा अपना घर हो' ये हर व्यक्ति का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए हम मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री गृह समृद्धि योजना लागू करेंगे।
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक अलग विभाग की स्थापना कर 33,000 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना लागू की जाएगी।
- पारदर्शी और समयबद्ध आबंटन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य स्तर पर एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
- परियोजना को लोगों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जाएगा और जीडीसीआर, एफएसआई और जमीन की कीमतों में रियायत दी जाएगी।
- अगले पांच वर्षों में कुल 50 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे जिनमें ग्रामीण इलाको में 28 लाख मकान और शहरी इलाकों में 22 लाख मकान बनाना शामिल है।
- शहरी इलाकों में झोपड़पट्टियों में रहने वाले 7.5 लाख लोगों में से प्रत्येक को बुनियादी सुख-सुविधाओं के साथ 36 वर्ग मीटर पर बने मकान दिये जाएंगे।
- एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले शहरी निम्न मध्यम वर्गीय शहरी लोगों से केवल 50,000 रुपये लेकर उनके लिए 2 कमरों और रसोईघर के साथ 7.5 लाख मकान बनाए जाएंगे।
- एक लाख रुपये से ढाई लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी निम्न मध्यम वर्ग के लिए सस्ते शहरी आवास के अंतर्गत 3.5 लाख मकानों का निर्माण कराया जाएगा।
- शहरी इलाकों में ढाई लाख रुपये से अधिक लेकिन पांच लाख रुपये से कम की वार्षिक आय वाले मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 2 बैडरूम हॉल किचन वाले 3.5 लाख मकानों का निर्माण कराया जाएगा।
- औद्योगिक श्रमिकों, श्रमिकों, कुशल श्रमिकों आदि को उनके काम करने के स्थान के नजदीक सस्ती दर पर आवास सुविधा प्रदान करने के लिए हाउसिंग टाउनशिप योजना।

  पूर्व की सरकारें 40 वर्षों में लोगों को केवल 12 लाख (शहरी और ग्रामीण दोनों को मिलाकर) मकान दे पाई यानि प्रति वर्ष औसतन 30,000 मकान जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने पिछले 11 वर्ष में प्रति वर्ष औसतन 1 लाख मकान की दर से 22 लाख मकान दिये। जिन लोगों का पिछला रिकॉर्ड एक वर्ष में केवल 30,000 मकान बनाने का रहा है, वे आज वादा कर रहे हैं कि प्रति वर्ष 3 लाख मकान बनाएंगे। अगर उन्होंने 40 वर्षों में यह काम किया होता तो आज कोई भी बेघर नहीं होता।
- दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांगता होने पर सभी नागरिकों को बीमा सुविधा दी जाएगी।
- सामूहिक विवाह के लिए सहायता दी जाएगी चाहे वह किसी भी जाति के हों या उनका आय का कुछ भी स्तर हो।
- राज्य के सभी शहरी इलाकों में 4000 करोड़ रुपये की लागत से पानी की भूमिगत निकासी के चरणबद्ध और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए योजनाएं।

वंचितों का विकास

- दसवीं कक्षा के परिणाम के साथ जाति प्रमाणपत्र दिये जाएंगे ताकि माता-पिता और छात्रों को इसे लेने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े।
- अनुसूचित जातियों, अति पिछड़े वर्ग (अति पिछड़ी

जाति) के भूमिहीन लोगों को अपने जीवन में एक बार अधिकतम दो एकड़ जमीन खरीदने के लिए काश्तदारी अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी।

- वनबंधु कल्याण योजना और सागरखेडू विकास योजना की तर्ज पर अनुसूचित जातियों के लिए एक विकास पैकेज शुरु किया जाएगा।
- अगले पांच वर्ष में हम पहले ही आदिवासियों के लिए 40,000 करोड़ रुपये और तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए 21,000 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी पैकेज शुरु कर चुके हैं।
- हम आदिवासी इलाकों में उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन देंगे जिसमें एग्रो प्रोसेसिंग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- हम ओबीसी की 'क्रीमी लेयर' के लिए सीमा में संशोधन कर उसे प्रति वर्ष 6 लाख रुपये कर देंगे।
- पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए विशेष छात्रावास सुविधा

रोजगार

- औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास के साथ 30 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित।
- इसके अलावा 30 लाख से ज्यादा को मिशन मंगलम योजना के अंतर्गत स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।
- कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किये जाएंगे। यह अगले 10 वर्षों में 2.5 करोड़ कुशल श्रमिक तैयार करने के लिए एक खाका और पाठ्यक्रम तैयार करेगा ताकि उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा किया जा सके।
- श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी।
- स्वरोजगार और प्रशिक्षण के लिए आसान कर्ज सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ व्यवस्था की जाएगी। जहां जरुरी होगा, ऐसे कर्जों के लिए सरकार गारंटर होगी।

वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- वन क्षेत्रों में घास वाली भूमि पर चारा उगाने का विशेष कार्यक्रम
- गुजरात के गांवों और उनके आसपास मौजूद झीलों को प्रदूषित होने से रोकने और उनके विकास के लिए एक झील विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अध्ययन और कार्य योजना
- देश के कुल सीईआर में गुजरात का हिस्सा 17.28 प्रतिशत है। हमारी सरकार इस स्थिति को बनाए रखने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी और प्रौद्योगिकी विकास को गति प्रदान करेगी जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। हम इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने के लिए तीव्र अभियान चलाएंगे।
- गांधीनगर को सौर शहर और कार्बन न्यूट्रल शहर के रुप में विकसित करने पर विशेष ध्यान

महिला और बाल विकास

- बालिका के जन्म के प्रति परिवारों में सकारात्मक रवैये को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति बनाई जाएगी
- सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को शामिल करने के लिए विद्या लक्ष्मी बांड छात्रवृत्ति कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा
- गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए सरकारी सुविधाओं को मजबूत बनाने के अलावा चिरंजीवी योजना को अधिक प्रभावकारी बनाया जाएगा
- महिला कॉलेजों के लिए विशेष प्रावधान, महिलाओं के आईटीआई और महिला छात्रावास
- महिलाओं को महिलाओं से न्याय दिलाने के लिए अधिक ताल्लुकों में नारी अदालतों का गठन किया जाएगा
- 24 लाख सदस्यों वाले 2.5 लाख सखी मंडलों के लिए कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ''मिशन मंगलम'' के अंतर्गत महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। ऐसे कर्जों पर हम ब्याज सब्सिडी देंगे।

युवा

- युवाओं के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए एक नई युवा नीति बनाई जाएगी। इसमें खेल-कूद, रोजगार और रोजगार क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- राज्य में 2010 से एक महीने का खेल महाकुंभ हो रहा है। इसे अधिक परिणामोन्मुख बनाया जाएगा।
- जिलों में खेल स्कूल खोलकर, उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा और तैयार किया जाएगा जो खेलों को भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं
- प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे समुद्री खेल, जल क्रीड़ा, पर्वतारोहण और साहसिक खेल और तीरंदाजी।
- राज्य में, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से एक नीति तैयार की जाएगी

खाद्य सुरक्षा

- सरकार की सहायता से सखी मॉडलों के जरिये गरीबों को खाद्यान्न प्रदान करने के लिए सरकार की सहायता से अन्नपूर्णा योजना
- गुजरात की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया, उसे और मजबूत बनाया जाएगा और ग्राम विश्वग्राम केन्द्रों के जरिये राशन के लिए कूपन वितरित किये जाएंगे।

राजस्व

- सम्पत्ति के अधिकार की जांच के लिए राज्य सरकार एक प्राधिकरण गठित करेगी
- कई एजेंसियों से एनए की क्लीयरेंस लेना जरुरी होगा। पिछले अनेक वर्षों से जारी व्यवस्था की तरह आवेदनकर्ता को एक दफ्तर से दूसरे दतर भागना न पड़े, इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा।
- एनए की इजाजत में तेजी लाने के लिए कुछ कलेक्टर कार्यालयों में खेले दरबार की व्यवस्था कुछ और जिलों में की जाएगी।
- किसानों के बीच स्वेच्छा/आपसी सहमति से भूमि के आदान-प्रदान के मामले में स्टैंप ड्यूटी से छूट दी जाएगी।

विद्युत और ऊर्जा के अन्य स्रोत

- पांच वर्ष के भीतर विद्युत उत्पादन दोगुना हो जाएगा
- सौर और पवन ऊर्जा सहित ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों में आगे

पेयजल

- देश के 30 प्रतिशत औसत की तुलना में राज्य में 75 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में इसमें और अधिक आबादी को शामिल किया जाएगा

शहरी विकास

- शहरी गरीबों के लिए विशेष आवास पैकेज- गरीब 25 लाख मकान बनाए जाएंगे
- अलग-अलग शहरी शौचालयों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना
- 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो रेल सेवाएं (एमईजीए), अन्य शहरों में बीआरटीएस
- बीआरटीएस और मेट्रो जैसी आधुनिक, तेज और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सही विकास
- अन्य शहरों में नदी के सामने का विकास, कुछ और ट्विन शहर
- 2011 की जनगणना के आधार पर नये नगर निगमों का गठन
- शहरी गरीबों के लिए खासतौर पर 2007 में 13,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ शहरी गरीब समृद्धि योजना शुरु की गई। अगले पांच वर्ष में इस पैकेज को बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाएगा

बुनियादी ढांचा

- 10 और 4/6 लेन वाली सड़कों की लंबाई दोहरी करना
- ग्रामीण सड़कों सहित सड़कों का विस्तार और उन्हें पक्का करना
- सड़कों, रेलवे का विश्वस्तरीय विकास
- वैश्विक मानदंडों के साथ बंदरगाहों का विकास
- अहमदाबाद, पालनपुर, वडोदरा, दहेज, हजीरा में लॉजिस्टिक पार्को विकसित करना
- अंतरराज्यीय जल परिवहन की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस पहल के अंतर्गत पहले रो-रो नौका परियोजना भावनगर से दहेज तक विकसित की जाएगी। इन प्रयासों का अन्य जगहों पर भी विस्तार किया जाएगा।
- हमने अहमदाबाद नगर निगम के लिए मल्टीमॉडल वहनीय परिवहन प्राधिकरण (एमएटीए) की स्थापना का फैसला किया है जिससे परिवहन के विभिन्न अत्याधुनिक प्रणालियों एसटी बस, सिटी बस, बीआरटीएस और मेट्रो रेल की मदद से एक समन्वित प्रणाली स्थापित की जा सके ताकि लंबी यात्रा के दौरान अलग-अलग वाहनों के लिए यात्रियों को अलग-अलग टिकट न लेना पड़े।

पर्यटन

- सपुतड़ा, पावगढ़ और जीमर जैसे पर्यटन स्थलों पर विशेष ध्यान
- दांडी यात्रा मार्ग को धरोहर गलियारे के रुप में विकसित किया जाएगा
- डांग्स की उन जगहों को जहां भगवान राम गए थे एक पर्यटन सर्किट ''श्रीराम पगडंडी'' के रुप में विकसित किया जाएगा

सुरक्षा

- आज गुजरात की पुलिस भारत में सबसे नई है और हाल के वर्षों में पुलिस बल में बड़ी संख्या में नियुक्ति के कारण शिक्षित और टेक्नो सेवी है। पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे युवकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- गुजरात का लोक अदालत और सायंकालीन अदालतों का सफल अनुभव रहा। इसका विस्तार किया जाएगा और

मजबूत बनाया जाएगा।

- महिलाओं के लिए विशेष लोक अदालतें

बंदरगाह

- बंदरगाहों के आसपास बंदरगाह शहर विकसित किये जाएंगे
- गुजरात के बंदरगाहों से इस समय 323 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटी प्रति वर्ष) सामान लाया-ले जाया जाता है। हम इसे बढ़ाकर 2015-16 तक 500 एमएमटी प्रति वर्ष और 2020 तक 800 एमएमटी प्रति वर्ष कर देंगे।
- गुजरात को दक्षिण एशिया के जहाज निर्माण हब के रुप में विकसित किया जाएगा
- मछुआरों के लिए विशेष जेटी स्थापित की जाएंगी

ई- गवर्नेंस, आईटी और बीटी

- गुजरात में राज्यव्यापी ब्राडबैंड कनेक्टीविटी है। अब राज्य सरकार सार्वजनिक स्थलों और व्यावसायिक केन्द्रों में राज्य भर में वाईफाई नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- ई-गवर्नेंस के जरिये हम निकटतम संभावित स्थान पर नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करेंगे।

ग्लोबल गुजरात

- 13 विशेष निवेश क्षेत्र विकसित किये जाएंगे
- औद्योगिक क्षेत्र में आगे अत: अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाएंगे
- विश्व स्तर का आधुनिक और सुनियोजित शहर, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और स्मार्ट शहर
- राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग 1615 केडब्ल्यूएच है जबकि देश में बिजली का उपभोग 1615 केडब्ल्यूएच है। इसे विश्व स्तर 2782 केडब्ल्यूएच के बराबर लाया जाएगा
- गुजरात को पूरी तरह गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा

प्रशासन

- सेवा का अधिकार कानून लागू किया जाएगा
- भविष्य की जरुरतों के बारे में सही तथ्यों के साथ सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए वार्षिक अभियान चलाया जाएगा
- 500 और सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा
- सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए आयु सीमा हाल ही में विभिन्न पदों के लिए 25 से बढ़ाकर 28 और 28 से बढ़ा कर 30 कर दी गई है। विशेष वर्गो के लिये आयु सीमा में ढील जारी रहेगी। सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी नौकरियों के बोर्ड में इसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि रोजगार के अधिक अवसर खुल सकें।

वित्तीय प्रबंधन

- अगले पांच वर्षो में 3 लाख करोड़ रुपये का योजना खर्च। ■

मुझे प्रधानमंत्री से हिसाब चाहिए : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री जी, जिस असम के कोटे से आप राज्यसभा में चुनकर आए हैं, वहां का क्या हाल हुआ? किस तरह का कत्लेआम चला, ये सबने देखा। कई जिलों में कर्फ्यू लगा रहा, वो भी कांग्रेस के राज में। आप गुजरात के लोगों को उकसाने की कोशिश ना करें। गत 10 दिसम्बर को गुजरात के वलसाड में चुनावी सभा को संबोधते हुए श्री मोदी ने डॉ. मनमोहन सिंह के दिए भाषण का जवाब देते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री गुजरात के चुनावी प्रचार के लिए गुजरात में आये है और प्रधानमंत्री ने जो बाते कही, मुझे प्रधानमंत्री से हिसाब चाहिये, प्रधानमंत्री ने गुजरात की धरती पर आकर गुजरात में शान्ति एकता और भाईचारे का वातावरण को बिगाड़ने का काम किया है, वोट बैंक की राजनीति करने वाले विकास की राजनीति समझने का सामर्थ नहीं रखते, और देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री भी वोट बैंक की राजनीति करता है। श्री मोदी ने कहा प्रधानमंत्री मनमोहनजी आपने भी गुजरात में आके वोट बैंक की राजनीति करने का पाप किया है। आगे श्री मोदी कहते हैं कि प्रधानमंत्रीजी आपने कहा कि गुजरात में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्रीजी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आसाम से राज्यसभा में आते है, 6 महीने पहले आपके होम स्टेट आसाम में कैसी कत्लेआम चली थी यह सब जानते है, कई जिलों में कई दिनों तक कर्फ्यू रहा था, दिल्ली में आपकी सरकार है और आसाम में जहां से आप संसद हो और आप गुजरात में आकर आप अल्पसंख्यकों को उकसाने का प्रयास करते हो, गुजरात की शांति को बिगाड़ने का काम करते हो। यह सही नहीं हैं।■

पाकिस्तान में हिंदू मंदिर गिराने पर भाजपा ने सौंपा पाक उच्चायुक्त को ज्ञापन

श्री सलमान बशीर 4 दिसम्बर, 2012

मान्यवर उच्चायुक्त,

भारत व भाजपा लोकतंत्र की रक्षा, न्याय व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए शपथ बद्ध है। भारत व पाकिस्तान के मध्य ''कोई युद्ध संधि'' न होते हुए भी, दोनों देशों के नागरिक शांति, समझदारी व दोस्ताना संबंधों के पक्षधर हैं। भारत में हिन्दू बहुल की आबादी के बावजूद, देश में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तथा उनके अधिकारों की रक्षा भारतीय कानून के अन्तर्गत व नागरिक समाज द्वारा सुनिश्चित व सुरक्षित की जाती है।

लेकिन भाजपा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की दयनीय दशा से चिन्तित है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या में 1. 5 प्रतिशत हिन्दू आबादी है। लेकिन पाकिस्तान राज्य अल्संख्यक हिन्दुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ रहा है। हिन्दूओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। ईसाई धर्म के अनुयायी पाकिस्तानी ईश निन्दा कानून की शिकायत करते हैं क्योंकि इसके अधीनस्थ इस्लाम की निन्दा करने वालों को मौत की सजा का दोषी बताया जाता है। ऐसा लगता है कि आपके देश में अल्पसंख्यकों के लिए का वातावरण व्याप्त है।

पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची में भीमपुरा इलाके में कल 200 साल पुराने हिन्दू मंदिर को तोड़ने की घटना हम सबके लिए भयानक व दर्दनाक है। श्री रामपीर मंदिर को न केवल ध्वस्त कर दिया गया अपितु 40 से अधिक हिन्दुओं को बेघर होना पड़ा। यह उनके साथ सरासर अन्याय है। तथा भारतीय जनता पार्टी को यह स्वीकार्य नहीं है। यह पाकिस्तान में हिन्दुओं के मौलिक अधिकारों के हनन का मामला है। भाजपा मांग करती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों व उनकी संपत्ति की रक्षा हेतु उचित व सार्थक कानून बनाए जाए।

भाजपा इस दु:खद घटना पर अपना गुस्सा व कड़ा विरोध जताती है। हिन्दू समुदाय के अधिकारों को न तो कुचला जा सकता है। और न ही दरकिनार किया जा सकता है। बल्कि उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। भाजपा मांग करती है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बन्द होना चाहिए। इस मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार को कड़ा रूख अपनाते हुए अपराधियों को दण्डित भी करना चाहिए।

भाजपा पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की लगातार हो रही घटनाओं पर अपनी गहरी पीड़ा व निराशा व्यक्त करती है। भाजपा हैरान है कि पाकिस्तान में हिन्दू विवाह के लिए कोई कानूनी मान्यता नहीं है। तथा नौकरियों व स्कूलों में हिन्दुओं के साथ खुला भेद-भाव किया जाता है। यह सरासर अन्याय है।

भाजपा पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आसिफ अली जरदारी व प्रधानमंत्री श्री राजा परवेज अशरफ से मांग करती है कि पाकिस्तान में कट्टरवादियों से अल्पसंख्यकों की रक्षा की समुचित व्यवस्था तुरन्त सुनिश्चित करे। पाकिस्तान में हिन्दुओं के मानव अधिकारों की बिगड़ती स्थिति, फिरौती, अपहरण व हिंसा में ''सरल लक्ष्य'' बनने की दर्दनाक घटनाएं सार्वभौमिक रूप से निन्दनीय है।

भाजपा श्री राम पीर मंदिर के विध्वंस के मुद्दे के शीघ्र समाधान व इस दु:खद घटना के जिम्मेदार अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मॉग करती है। तथा पाकिस्तान में रह रहे हिन्दू समाज की रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध है।

जे.पी. नड्डा
सांसद व महामंत्री

विजय जौली
संयोजक, भाजपा प्रवासी /विदेश विभाग

बलबीर पुंज
सांसद व प्रवक्ता

पी. मुरलीधर राव
राष्ट्रीय मंत्री

आरती मेहरा
राष्ट्रीय मंत्री

पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल का 92 साल की उम्र में 30 नवम्बर को निधन हो गया।

देश के बारहवें प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल का जन्म 4 दिसंबर, 1919 को अविभाजित पंजाब के प्रांत झेलम में हुआ था। इनके पिता अवतार नारायण गुजराल स्वतंत्रता सेनानी थे। पिता के प्रभाव में वह भी मात्र बारह वर्ष की आयु से ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे थे। श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने बी.ए, एम.ए, पी.एच.डी और डी. लिट् की उपाधियां प्राप्त कीं। उन्हें हिन्दी और अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अच्छा ज्ञान था। श्री इन्द्र कुमार गुजराल विदेश नीति के विशेषज्ञ थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए गुजराल भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। 1950 के दशक में वे एनडीएमसी के अध्यक्ष बने और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बने और फिर रूस में भारत के राजदूत भी रहे।

अच्छे पड़ोसी संबंध को बनाए रखने के लिए गुजराल सिद्धांत का प्रवर्तन करने वाले श्री गुजराल कांग्रेस छोडकर 1980 के दशक में जनता दल में शामिल हो गए। वह 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में विदेशमंत्री बने। विदेशमंत्री के तौर पर इराकी आक्रमण के बाद वह कुवैत संकट के दुष्परिणामों से निपटे, जिसमें हजारों भारतीय विस्थापित हो गए थे। एचडी देवेगौडा की सरकार में गुजराल दूसरी बार विदेशमंत्री बने और बाद में जब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, तो 1997 में वह प्रधानमंत्री बने। ■

शोक संदेश

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल के स्वर्गवास पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री गुजराल का देहान्त दिनांक 30 नवम्बर 2012 को दिल्ली में हुआ। अपने शोक संदेश में श्री गडकरी ने कहा कि वे एक प्रतिभाशाली नेता और विचारक थे। उन्होंने राष्ट्र की सेवा समर्पण और ईमानदारी के साथ की। विदेश नीति में उनकी देन सराहनीय है। वे प्रखर राष्ट्रवादी और महान देशभक्त थे। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी जानकारी काफी गहरी थी।■

नहीं रहे भाजपा नेता किशन सिंह सांगवान

भाजपा के वरिष्ठ नेता व लगातार तीन बार सोनीपत से सांसद रहे 64 वर्षीय श्री किशन सिंह सांगवान का 3 दिसम्बर 2012 को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद सिंह हुड्डा ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी व उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। उनके निधन की खबर मिलने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूर्व सांसद किशन सिंह सांगवान के जाने से हरियाणा को अपूरणीय क्षति हुई है। राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्र में उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती।

श्री किशन सिंह सांगवान जननेता थे उनकी एक आवाज पर क्षेत्र में व्यक्ति हुजूम के रूप में इकट्ठे हो जाते थे। उन्होंने गोहाना क्षेत्र से अपना राजनैतिक कैरियर शुरू किया व प्रदेश में कृषि और शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन रहे। अपने राजनैतिक कद को ऊपर उठाते हुए वे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के भी तीन बार सदस्य रहे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि श्री सांगवान के निधन से पूरे भाजपा परिवार को गहरा धक्का लगा है।

शोक संदेश

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने अपने शोक संदेश में कहा कि भाजपा के पूर्व सांसद श्री किशन सिंह सांगवान के निधन का दु:खद समाचार मिला। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री किशन सांगवान पार्टी के जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ताओं में से थे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी उन्होंने अपनी दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया। हरियाणा में पार्टी के विस्तार हेतु वह जुटे रहे। उनका उत्साह देखते ही बनता था। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा सभी परिजनों और सहयोगियों को यह असीम दु:ख सहने का सामर्थ्य दे। ■